पुलिस द्वारा बच्चों के प्रकरणों में वैधानिक कार्यवाही हेतु स्टैन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP)

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम - 2015 व पॉक्सो अधिनियम - 2021 पर आधारित

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0, लखनऊ

पुलिस द्वारा बच्चों के प्रकरणों में वैधानिक कार्यवाही हेतु स्टैन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP)

[किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम - 2015 व पॉक्सो अधिनियम - 2021 पर आधारित]

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन
उ०प्र०, लखनऊ

1090 0522-2325200 112

@wpl1090 @uppolice uppolice uppolice.gov.in

संक्षिप्त नाम (Abbreviations)

SJPU	Special Juvenile Police Unit	विशेष किशोर पुलिस इकाई
CWPO	Child Welfare Police Officer	बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
CNCP	Children in Need of Care & Protection	देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक
CCL	Children in conflict with Law	विधि का उल्लंघन करने वाले बालक
CrPC, 1973	Code of Criminal Procedure, 1973	दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
IPC, 1860	Indian Penal code, 1860	भारतीय दण्ड संहिता, 1860
DCPU	District Child Protection Unit	जिला बाल संरक्षण इकाई
DPO	District Probation Officer	जिला प्रोबेशन अधिकारी
NCPCR	National Commission for protection of Child rights	राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग
SCPCR	State Commission for protection of Child rights	राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
CWC	Child welfare committee	बाल कल्याण समिति
JJB	Juvenile Justice Board	किशोर न्याय बोर्ड
JJ Act, 2015	Juvenile Justice Act, 2015	किशोर न्याय अधिनियम, 2015
POCSO, Act 2012	Protection of children from Sexual offences act 2012	लौंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
GD ENTRY	General Daily Diary Entry	रोजनामचा आम
AJK	Asha Jyoti Kendra	आशा ज्योति केन्द्र
CAC	Crime Against children	बच्चों के विरूद्ध अपराध
CJM	Chief Judicial Magistrate	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
SBR	Social Background Report	सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट
SIR	Social Investigation Report	सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट

विषय सूची

	अध्याय–1	
01	**परिचय**	**पृ0सं0**
1.1	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 का संक्षिप्त परिचय	02
1.2	परिभाषायें	03
1.3	सामान्य सिद्धांत	05
	अध्याय–2	
02	**विशेष किशोर पुलिस इकाई व बाल कल्याण पुलिस अधिकारी**	
2.1	विशेष किशोर पुलिस इकाई की संरचना	08
2.2	विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रमुख कार्य	09
2.3	बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रमुख कार्य	10
	अध्याय–3	
03	**विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में प्रक्रिया**	
3.1	अपराधों का वर्गीकरण	12
3.2	एफ0आई0आर0 व जी0डी0 इन्ट्री का प्रावधान	12
3.3	विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की गिरफ्तारी	13
3.4	पुलिस, SJPU, CWPO हेतु बच्चों से पेश आने की प्रक्रिया	13
3.5	प्रकरणों में विवेचना हेतु प्रक्रिया	14
3.6	थाने से जमानत हेतु प्रावधान	15
3.7	वयस्क के साथ संयुक्त कार्यवाही न होना	16
3.8	बच्चों के मामलों में लागू न होने वाले सी0आर0पी0सी0 के प्रावधान	16
3.9	बालक संबंधी अभिलेखों को नष्ट किया जाना	16
3.10	भागे हुए बालक के संबंध में प्रक्रिया	16
3.11	वयस्क हेतु उपबंध – जब अपराध 18 वर्ष से कम आयु में किया गया हो	17
	अध्याय–4	
	A. बच्चों के विरूद्ध अपराध	
4.1	बच्चों के प्रति अपराधों में पुलिस हेतु सामान्य प्रक्रिया	20
4.2	बच्चों के प्रति होने वाले प्रमुख अपराध व प्रक्रिया	20
4.3	भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत बच्चों के प्रति अन्य अपराध	27
4.4	बच्चों के प्रति अपराधों में सक्षम न्यायालय	28
	B. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012	
4.5	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012)	30

4.6	मामलों को रिपोर्ट करना	30
4.7	बालक के कथन का अभिलिखित किया जाना	31
4.8	बालक की चिकित्सीय परीक्षा	32
4.9	लैंगिक अपराधों के प्रकरणों में पुलिस/विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस0जे0पी0यू0) के कर्तव्य	33
4.10	पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराध व दंड के प्रावधान	35
	अध्याय–5	
05	**देखरेख व संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के संबंध में प्रक्रिया**	
5.1	थाने स्तर पर प्रक्रिया	38
5.2	बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना	39
5.3	संरक्षक से पृथक पाये गये बालक के बारे में अनिवार्य रिपोर्टिंग	39
	अध्याय–6	
06	**किशोर न्याय बोर्ड**	
6.1	किशोर न्याय बोर्ड	42
6.2	बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया	42
6.3	विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बोर्ड द्वारा जांच	42
6.4	जांच के दौरान बालक न रह जाने पर प्रक्रिया	43
	अध्याय–7	
07	**बाल कल्याण समिति**	
7.1	बाल कल्याण समिति की संरचना	46
	बाल कल्याण समिति के संबंध में प्रक्रिया	46
	अध्याय–8	
08	**जे0जे0 एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण विविध प्रावधान**	
8.1	बालकों की आयु निर्धारण हेतु प्रक्रिया	48
8.2	बालक को रात भर आश्रय देने हेतु प्रक्रिया	48
8.3	रिपोर्टों को गोपनीय रखने हेतु प्रावधान	49
8.4	सदभावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण	49
8.5	थानों पर बाल सहायक स्थान/कमरे हेतु प्रावधान	49
09	**अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न**	
10	**केस स्टडी व प्रक्रियात्मक उदाहरण**	57
11		
11.1	किशोर न्याय अधिनियम–2015 अनुपालन हेतु जघन्य अपराधों की सूची	70
11.2	किशोर न्याय अधिनियम–2015 में सक्षम प्राधिकारी एवं बाल देखरेख संस्थाएं	75
11.3	पुलिस हेतु उपयोगी प्रपत्र (किशोर न्या. नियमावली 2016 के अंतर्गत, प्रपत्र–1, 2, 17, 42)	77

अध्याय–1

परिचय

1.1 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 का संक्षिप्त परिचय

भारत सरकार ने विधि का उल्लंघन करने वाले और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं (18 वर्ष से कम आयु) के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 लागू किया है।

इस नवीन कानून के माध्यम से पूर्व के किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को निरस्त कर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 को 15 जनवरी, 2016 से पूरे देश में लागू किया गया है।

इस कानून को विधि से संघर्षरत बच्चों और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में विशेष कानून का दर्जा दिया गया है। इस कानून को कुल 112 धाराएं एवं 10 अध्यायों में विभाजित किया गया है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण), अधिनियम, 2015 में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन, 1989 में निर्धारित बाल अधिकारों तथा विधि से संघर्षरत किशोरों हेतु निर्धारित संयुक्त राष्ट्र किशोर न्याय न्यूनतम मानक नियम, 1985 (बीजिंग रूल्स), अपनी स्वतन्त्रता से वंचित संयुक्त राष्ट्र किशोर संरक्षण नियम, 1990 एवं बाल संरक्षण और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण संबंधी हेग कन्वेंशन, 1993 के अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों को ध्यान में रखा गया है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का उद्देश्य बाल मैत्री वातावरण एवं प्रक्रिया के तहत् बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए विधि से संघर्षरत बच्चों के समुचित न्याय सुनिश्चित करने, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास की व्यवस्था करने तथा विभिन्न तरह की हिंसा/शोषण से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस प्रयोजन, कानून में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधान, प्रक्रियाएं तथा बाल संरक्षण सेवाओं तथा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन का प्रावधान किया गया है।

इस कानून के तहत् सभी बच्चों की देखरेख और संरक्षण हेतु आधारभूत सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से बच्चे के अपराध की निर्दोषिता, गरिमा और योग्यता, सहभागिता, सर्वोत्तम हित, परिवार की जिम्मेदारी, सुरक्षा, सकारात्मक उपाय, गैरकलंकीय भाषा का प्रयोग, समानता और भेदभाव न करना, गोपनीयता का अधिकार, संस्थागत देखभाल अन्तिम विकल्प, नये सिरे से शुरूआत एवं प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक बच्चे के प्रकरण में कार्यवाही एवं प्रक्रिया के दौरान ये सिद्धान्त सभी प्राधिकरण/संस्थाओं एवं व्यक्तियों का मार्गदर्शन करेंगें।

किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत बच्चों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक/बालिका व देखरेख एवं संरक्षण की स्थिति वाले बालक/बालिका, देखरेख व संरक्षण की स्थिति वाले बच्चों में वे बच्चे भी आते हैं जो किसी अपराध से पीड़ित हैं। अधिनियम के अंतर्गत बच्चों की देखरेख व सुरक्षा हेतु विभिन्न वैधानिक संस्थायें स्थापित की गई हैं, जिसके अंतर्गत विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों हेतु किशोर न्याय बोर्ड एवं देखरेख एवं सुरक्षा की स्थिति वाले बच्चों हेतु बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। साथ ही साथ सभी वर्गों के बच्चों हेतु जिला बाल संरक्षण इकाईयां, विशेष किशोर पुलिस इकाई व बाल कल्याण पुलिस अधिकारी आदि की व्यवस्था जनपदवार की गई है। ये सभी इकाइयां व संस्थायें उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कार्यरत हैं।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 बच्चों के मामले में सर्वोपरि कानून है (धारा–1(4))

विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के विषय में इस अधिनियम के प्रावधान, किसी भी अन्य विधि में संदर्भित किसी बात के होते हुए भी लागू होंगे।

- विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की गिरफ्तारी, निरुद्धि, अभियोजन, शास्ति या कारावास, पुनर्वास और सामाजिक पुर्नमेलन से सम्बंधित सभी मामलों में इसी अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे चाहे किसी अन्य अधिनियम में कोई अन्यथा उपबंध क्यों न किये गए हों।
- इसी प्रकार, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास, दत्तक ग्रहण, समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, वापसी की प्रक्रियाएं, निर्णय एवं आदेश इसी अधिनियम से नियंत्रित होंगे।
- इसका अर्थ यह है कि जब कभी किसी अन्य कानून से विरोधाभास की स्थिति प्रकट होगी, ऐसी स्थिति में किशोर न्याय अधिनियम (जे0जे0 एक्ट) के प्रावधानों को सर्वोपरि माना जायेगा। यदि ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है परन्तु जे0जे0 एक्ट में किसी विषय पर कोई प्रावधान नहीं दिया गया है वहां पर सी0आर0पी0सी0 एवं आई0पी0सी0 के प्रावधानों को लिया जायेगा।

1.2 मुख्य परिभाषायें (धारा–2)

बालकः– 'बालक' अथवा 'किशोर' से ऐसा व्यक्ति (बालक/बालिका) आशय/अभिप्रेत है, जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। (धारा 2(12), जे0जे0 एक्ट–2015)

विधि का उल्लंघन करने वाला बालकः– से ऐसा बालक आशय/अभिप्रेत है, जिसके बारे में यह अभिकथन है या पाया गया है कि उसने कोई अपराध किया है या किसी कानून का उल्लंघन किया है और जिसने उस अपराध के किये जाने की तारीख को अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। (धारा 2(13), जे0जे0 एक्ट–2015)

देखरेख व संरक्षण का जरूरतमंद बालकः– से ऐसा बालक अभिप्रेत है, जिसका घर या आवास नहीं है, सड़क या फुटपाथ पर जीवन यापन, भीख मांगने वाले, किसी व्यक्ति द्वारा साथ में रहते हुए अथवा पृथक रूप से बालक को क्षति, शोषण, पिटाई, दुर्व्यवहार, उपेक्षा, मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार, माता पिता देखरेख करने में असमर्थ हों, गुमशुदा, भागा हुआ, अपहरित, बाल तस्करी व यौन हिंसा का पीड़ित, बाल विवाह व बाल मजदूरी का पीड़ित लैंगिक शोषण का शिकार, प्राकृतिक आपदा या सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित, अनाथ इत्यादि सम्मिलित है। (धारा 2(12), जे0जे0 एक्ट–2015)

बाल न्यायालयः– से आशय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन स्थापित कोई न्यायालय या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पाक्सो) 2012 के अधीन कोई विशेष न्यायालय से है, जहां कहीं हो, और जहां ऐसे न्यायालयों को नहीं बनाया गया है वहां इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण करने वाली सेशन न्यायालय से है। (धारा 2(20), जे0जे0 एक्ट–2015)

समितिः– से मतलब धारा 27 के अधीन गठित जिले स्तर पर बाल कल्याण समिति (सी0डब्ल्यू0सी0) से है। जो कि देखरेख व संरक्षण बालकों हेतु सभी निर्णय लेने के लिए प्राधिकारी होगी।

बोर्डः– से मतलब धारा 4 के अधीन गठित किशोर न्याय बोर्ड (जे0जे0बी0) से है। जो कि कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के सभी प्रकरणों में न्याय निर्णयन हेतु प्राधिकारी होगी।

जिला बाल संरक्षण इकाई:– से आशय किसी जिले के लिए धारा 106 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक बाल संरक्षण इकाई है जो इस अधिनियम के क्रियान्वयन को और जिले में अन्य बाल सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित कराने हेतु केंद्र बिंदु है। (धारा 106, जे0जे0 एक्ट–2015)

सम्प्रेक्षण गृह:– से आशय विधि के उल्लंघन की श्रेणी के बच्चों हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थापित व संचालित सम्प्रेक्षण गृह से है, जहां कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। (धारा 47(1), जे0जे0 एक्ट–2015)

विशेष गृह:– राज्य सरकार द्वारा विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालकों को, जिनके बारे में जांच के उपरांत यह पाया जाता है कि उन्होंने अपराध कारित किया है, उन्हें बोर्ड के आदेश से पुर्नवास एवं अन्य सुधार के लिए भेजा जाता है।

सुरक्षित स्थान:– से ऐसा कोई स्थान या ऐसी संस्था, जो पुलिस हवालात या जेल नहीं है, अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना पृथक रूप से की गई है या जो, यथास्थिति किसी संप्रेक्षण गृह या किसी विशेष गृह से जुड़ी हुई है, जिसका भारसाधक व्यक्ति विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक या उल्लंघन करते पाये गये ऐसे बालकों को, बोर्ड या बाल न्यायालय के आदेश से जांच के दौरान या उपरांत रखने की व्यवस्था की गई हो।

बाल गृह:– देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की देखरेख, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुर्नवास हेतु आश्रय सुविधा। (धारा 2(21), जे0जे0 एक्ट–2015)

उचित सुविधा तंत्र:– बोर्ड या समिति जांच के उपरांत किसी गैरसरकारी/सरकारी संस्था/संगठन को बच्चों की देखरेख व संरक्षण अथवा एक निश्चित उददेश्य व अस्थायी आश्रय हेतु अपने जनपद में उचित सुविधा तंत्र नामित कर सकेगी।

बाल कल्याण अधिकारी:– समिति या बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन व पालन करने हेतु बाल गृह से जुड़ा कोई अधिकारी।

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी:– किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत थाने स्तर पर नियुक्त/नामित सहायक पुलिस उपनिरीक्षक या उच्च स्तर का अधिकारी। (धारा 107(1), जे0जे0 एक्ट–2015)

परिवीक्षा अधिकारी:– से राज्य सरकार द्वारा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अधीन नियुक्त अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई के अधीन नियुक्त किया गया विधि–सह–परिवीक्षा अधिकारी (Legal Cum Probation Officer) अभिप्रेत है।

बालक का सर्वोत्तम हित:– से बालक के बारे में, उसके मूलभूत अधिकारों और जरूरतों पहचान, सामाजिक कल्याण और भौतिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास के पूरा किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए कोई लिया गया निर्णय का आधार है।

चाइल्ड फ्रेंडली:– से ऐसा कोई व्यवहार, आचरण, पद्धति, प्रक्रिया, रूख, पर्यावरण या बर्ताव है, जो मानवीय, विचारशील, और बालक के सर्वोत्तम हित में हो। (धारा 2(15), जे0जे0 एक्ट–2015)

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ:– से आशय ऐसे पदार्थ से जो मन पर विपरीत असर करने वाला हो या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित किया गया हो या स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में वर्णित कोई पदार्थ हो।

1.3 सामान्य सिद्धांत (धारा–3)

क्र.सं.	सिद्धांत	विवरण
01	निर्दोष मानने का सिद्धांत	किसी बालक का 18 साल की आयु तक किसी असदभाव अथवा आपराधिक आशय से निर्दोष माना जायेगा।
02	गरिमा व मूल्यों का सिद्धांत	सभी मनुष्यों के साथ गरिमा और अधिकारों के तहत बर्ताव किया जाना चाहिए।
03	भागीदारी का सिद्धांत	बालक की आयु व परिपक्वता को देखते हुए उसके जीवन को प्रभावित करने वाली प्रक्रियायों व निर्णयों को सुने जाने व भाग लेने का अधिकार होगा।
04	सर्वोत्तम हित का सिद्धांत	बालक के संबंध में कोई भी निर्णय उसके हित को ध्यान में रखकर लिया जायेगा।
05	पारिवारिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत	बालक की प्राथमिक देखरेख, उसका संरक्षण, सुरक्षा व पोषण का दायित्व उसके माता पिता/संरक्षक का होगा।
06	सुरक्षा का सिद्धांत	बालक की सुरक्षा/पुर्नवास के लिए हर वो उपाय किये जायेंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो कि किशोर न्याय प्रणाली के अंतर्गत व उसके पश्चात भी बालक के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार/शोषण आदि न हो।
07	सकारात्मक उपायों का सिद्धांत	इस अधिनियम के अंतर्गत बालकों के जोखिमों/परेशानियों/मुसीबतों को कम करने के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल किया जायेगा व उनके लिए सकारात्मक कदम उठाये जायेंगे।
08	गैर कलंकीय शब्दों व भाषा का प्रयोग न करने का सिद्धांत	बालक या उससे संबंधित प्रक्रियायों के दौरान किसी भी अपमान जनक शब्द, अपशब्दों व कलंकीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।
09	अधिकारों के अधित्याग का सिद्धांत	बालक के सभी अधिकारों को दिलाना चाहिए, किसी भी अधिकार को छीना या त्यागा नहीं जा सकता।

10	**समानता का अधिकार**	किसी भी बालक के साथ जन्म स्थान, धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग, अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए व बालक को बराबरी के अवसर व व्यवहार समान रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।
11	**निजता व गोपनीयता का सिद्धांत**	प्रत्येक बालक को सभी तरीकों, साधनों के माध्यम से संपूर्ण न्यायिक व पुर्नवास प्रक्रिया के दौरान अपनी पहचान व गोपनीयता का अधिकार है व सभी का यह दायित्व भी है कि बालक की पहचान न उजागर करें, जब तक ऐसा करना उसके सर्वोत्तम हित में न हो।
12	**बालक को किसी संस्था में रखने का अंतिम उपाय का सिद्धांत**	बालक को रहने व रखने के लिए उसका परिवार प्राथमिक है यदि किसी अवस्था में पारिवारिक देखरेख न मिल पा रही हो तो उसको शेल्टर होम में रखना, अंतिम उपाय होना चाहिए।
13	**वापस भेजने व पुर्नस्थापित करने का सिद्धांत**	किशोर न्याय व्यवस्था में प्रत्येक बालक का यह अधिकार है कि उसको परिवार से जल्दी से जल्दी पुनः मिलाया जाये, और सामाजिक, आर्थिक परिवेश में व समाज में पुनः स्थापित किया जाये, जब तक कि ऐसा करना उसके हित में न हो।
14	**नई शुरूआत का सिद्धांत**	किशोर न्याय व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी बालक के अतीत के सभी अभिलेखों व दस्तावेजों को एक समय पश्चात नष्ट कर दिया जायेगा।
15	**डायवर्जन (मोड़ने) का सिद्धांत**	विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों को न्यायिक प्रक्रिया/कार्यवाही में शामिल न करने व दूर रखने वाले सभी तरीकों को बढ़ावा दिया जायेगा। जब तक कि ऐसा करना उसके सर्वोत्तम हित में न हो।
16	**नैसर्गिक (नेचुरल) न्याय का सिद्धांत**	इस सिद्धांत के अंतर्गत निष्पक्षता के सभी बुनियादी मानकों जिसमें उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, भेदभाव से संरक्षण का अधिकार, पुर्नसमीक्षा का अधिकार शामिल है जिसका पालन न्यायिक क्षमता रखने वाले सभी व्यक्तियों/निकायों द्वारा किया जाना चाहिए।

अध्याय–2

विशेष किशोर पुलिस इकाई व बाल कल्याण पुलिस अधिकारी

2.1 विशेष किशोर पुलिस इकाई व बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की संरचना (धारा–107)

राज्य सरकार प्रत्येक जिले या शहर स्तर पर विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस0जे0पी0यू0) की स्थापना करेगी जिसके प्रमुख पुलिस उपायुक्त/पुलिस उपाधीक्षक से न्यून नहीं होंगें। इस इकाई में 2 प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।

- प्रत्येक पुलिस थाने स्तर पर कम से कम सहायक उपनिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जायेगा, जिसके द्वारा अपने क्षेत्र में पुलिस के संपर्क आने वाले सभी बच्चों के प्रकरण देखे जायेगें। ये सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी संबंधित विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस0जे0पी0यू0) के सदस्य होगें।
- रेलवे के स्तर पर भी बच्चों के मामलों को देखने के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई स्थापित की जायेगी।

उत्तर प्रदेश में विशेष किशोर पुलिस इकाई व बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की संरचना

- उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जनपद स्तर पर विशेष किशोर पुलिस ईकाई (एस0जे0पी0यू0), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थापित है।
- एस0जे0पी0यू0 का नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी सभी जनपदों में नामित/नियुक्त हैं।
- एस0जे0पी0यू0 में नोडल अधिकारी के अतिरिक्त एक इंस्पेक्टर (प्रभारी), एक महिला उपनिरीक्षक, 2 कांस्टेबल (एक महिला व एक पुरुष), किशोर न्याय बोर्ड के पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर, थाने स्तर पर दो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (एक सहायक उपनिरीक्षक या उच्च स्तर व एक महिला कांस्टेबल) एवं रेलवे में आर0पी0एफ0 व जी0आर0पी0 के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (उपनिरीक्षक स्तर) के अधिकारी/कर्मचारी, एस0जे0पी0यू0 का भाग/सदस्य होंगें।
- वर्तमान में एस0जे0पी0यू0 में सोशल वर्कर के रूप में जिला बाल संरक्षण ईकाई के सामाजिक कार्यकर्ता, स्वंयसेवी संस्थाओं व चाइल्डलाइन के प्रतिनिधि नामित हैं।
- रेलवे के स्तर पर भी बच्चों के प्रकरणों को हैंडिल करने हेतु एक एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नामित किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस में विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस0जे0पी0यू0) के निर्धारित मानक[1]

क्र.सं.	अधिकारी / पद	रैंक
1	1 SJPU नोडल आफीसर	पुलिस उपाधीक्षक या उच्च स्तर
2	1 SJPU प्रभारी	इंस्पेक्टर
3	1 महिला सब इंस्पेक्टर	सब इंस्पेक्टर
4	2 कांस्टेबल (One Female)	कांस्टेबल
5	डाटा आपरेटर (Track the missing child)	कांस्टेबल
6	2 सोशल वर्कर (One Female)	NGOs /Childline
7	पैरोकार / कोर्ट मोहर्रिर (JJB)	कांस्टेबल
8	बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (समस्त पुलिस थाने, जी0आर0पी0 एवं आर0पी0एफ0)	सहायक उप निरीक्षक या उच्च स्तर

2.2 विशेष किशोर पुलिस इकाई के कार्य

1. स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, बालकों / किशोरों से सम्बंधित विभिन्न कानूनों– जे0जे0 एक्ट, 2015, पॉक्सो एक्ट, 2012, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2016, बाल व किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम, 2016 इत्यादि के प्रभावी क्रियान्वयन व अनुपालन हेतु जनपद में कार्य करेगी।
2. स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बालकों से सम्बंधित प्रकरण व समस्याओं के निस्तारण हेतु कार्य करेगी एवं विभिन्न विभागों व संस्थाओं:– जिला प्रोवेशन विभाग / महिला कल्याण, श्रम विभाग, शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला बाल संरक्षण ईकाई, किशोर न्याय बोर्ड, चाइल्डलाइन, आशा ज्योति केन्द्र (181) व स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करेगी।
3. स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बच्चों से सम्बंधित प्रकरणों व समस्याओं (मिसिंग चिल्ड्रेन, बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम इत्यादि) के निराकरण व जागरूकता हेतु एंटी ह्यूमन ट्रैफीकिंग यूनिट, डी0सी0आर0बी0, आशा ज्योति केन्द्र, चाइल्डलाइन व स्वयंसेवी संस्थाओं से आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करेगी।
4. स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बच्चों के विरुद्ध अपराध, बच्चों के द्वारा अपराध, मिसिंग चिल्ड्रेन डाटा, पोक्सो व जे0जे0 एक्ट से सम्बंधित अपराधों के ब्यौरा व डाटा, थाना स्तर व सम्बंधित विभागों से एकत्र कर कार्यालय में नियमित रूप से अद्यतन करेगी।
5. एस0जे0पी0यू0, स्कूल, कालेजों मे बाल हिंसा, साइबर सुरक्षा, व बाल अधिनियमों पर जानकारी व जागरूक्ता हेतु कार्यक्रम विभिन्न सम्बंधित विभागों व स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम से आयोजित करने का कार्य करेगी।

[1] Letter no. DG/MSP/Kishornyay/2016, Dated: 25.11.2016

6. बच्चों/किशोरों से सम्बंधित अपराधों की विवेचना हेतु थाना स्तर के बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को सहायता प्रदान करना।

7. बालकों से सम्बंधित अपराधों के विधिक कार्यवाही व बाल अधिनियमों पर क्षमतावृद्धि हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना एवं बालकों से सम्बंधित प्रकरणों के निस्तारण, अर्न्तविभागीय समन्वय व समीक्षा हेतु मासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन करना।

8. बच्चों से सम्बंधित विभागों व संस्थाओं के टेलीफोन नम्बर्स व रिर्सोस डायरेक्ट्री तैयार कर कार्यालय में रखना।

9. किसी भी देखरेख व संरक्षण अथवा विधि के उल्लंघन की स्थिति वाले बच्चे का संज्ञान लेना व उचित कार्यवाही करना।

10. बच्चों के प्रकरणों में प्रभावी व विधि अनुसार कार्यवाही हेतु जिले के समस्त थानों से समन्वय बनाये रखना।

11. बच्चों के प्रकरणों संबंधी अधिनियमों व नियमों पर आयोजित प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करना व बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित करना व प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।

12. बच्चों के मामलों हेतु थानों पर विजिट करना व आवश्यक सहायता प्रदान करना।

13. बच्चों से सम्बंधित प्रकरणों की थानों स्तर पर कार्यवाही व हैंडलिंग हेतु बाल सहायक वातावरण स्थापित करने में सहायता करना किशोर न्याय अधिनियम 2015 के सभी सिद्धांतों व नियमों का पालन करना।

2.3 बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (CWPO) के कार्य

1. थाने पर आये बच्चों के मामलों (विधि का उल्लंघन करने वाले व देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों) का संज्ञान लेना व बाल सहायक वातावरण बनाये रखते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करना।

2. प्राप्त बच्चों के मामलों को, जैसी भी स्थिति हो, बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत करना।

3. बच्चों से पेश आते समय चाइल्ड फ्रेंडली व्यवहार व प्रक्रियाओं को अपनाना, जिसके अंतर्गत हथकड़ी न पहनाना, सादी वर्दी में रहना, बच्चे की मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान, कोई भी ऐसा काम जिससे बालक की गरिमा व सम्मान को ठेंस पहुंचे, न करना, आदि कार्य आते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के सभी सिद्धांतों व नियमों का पालन करना।

4. थाना स्तर पर बालकों/किशोरों से सम्बंधित प्रकरणो व अपराधों (कानून का उल्लंघन, देखरेख व संरक्षण बालकों से प्रति अपराध) इत्यादि का विवरण/डाटा व्यवस्थित तरीके से रखना व विशेष किशोर पुलिस ईकाई/एस0एस0पी0 आफिस को नियमित रूप से साझा करना।

5. बच्चों के प्रति अपराधों के समस्त प्रकरणों में विवेचना करना।

6. एस0जे0पी0यू0 की मासिक बैठकों व प्रशिक्षण शिविरों में संबंधित सूचनाओं के साथ प्रतिभाग करना।

7. थाना स्तर व ब्लाक स्तर के सम्बंधित अधिकारियों (बी0डी0ओ0, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी, सी0डी0पी0ओ0, श्रम प्रवर्तन अधिकारी) इत्यादि से समन्वय स्थापित करना व बाल संरक्षण से सम्बंधित बैठको/कार्यक्रमों मे सक्रिय प्रतिभाग करना।

अध्याय–3

विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में प्रक्रिया

3.1 अपराधों का वर्गीकरण

विधि के उल्लंघन की स्थिति वाले बालक/बालिका से पेश आने के लिए यह आवश्यक है कि उसके द्वा किये गये अपराध की प्रकृति को देखा जाये। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत अपराधों को ती श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो कि इस प्रकार हैं–

1. जघन्य अपराध (Heinous Offences)[2]

वे अपराध जिसके लिए भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या अन्य विधि के अधीन न्यूनतम दंड सात वर्ष उससे अधिक के कारावास का है।

2. गंभीर अथवा घोर अपराध (Serious Offences)[3]

वे अपराध जिनके लिए भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या अन्य विधि के अधीन अधिकतम दंड तीन वर्ष सात वर्ष के बीच के कारावास का है।

3. छोटे मोटे अपराध (Petty Offences)[4]

वे अपराध जिनके लिए भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या अन्य विधि के अधीन अधिकतम दंड तीन व तक के कारावास का है।

3.2 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) व जी0डी0 इन्ट्री हेतु प्रावधान

एफ0आई0आर0 करेंगें जबः–

- बालक द्वारा कोई जघन्य अपराध अभिकथित हो, या
- बालक द्वारा अपराध किसी वयस्क के साथ सम्मिलित रूप से करने का अभिकथन किया गया हो।

जी0डी0 एन्ट्री (जनरल डायरी) में दर्ज करेंगें जबः–

- बालक द्वारा किसी छोटे मोटे व गंभीर मामले का अभिकथन हो।

विधि के उल्लंघन की स्थिति में प्राप्त बालकों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व पुलिस द्वा की जाने वाली कार्यवाही के अंतर्गत जिन मामलों में किशोर द्वारा किया गया जघन्य अपराध अभिकथित हो, य जब किशोर द्वारा ऐसा अपराध वयस्को के साथ सम्मिलित रूप से किये जाने का अभिकथन किया गया हो, व सिवाय कोई प्रथम सूचना रिर्पोट पंजीकृत नहीं की जायेगी **(नियम–8)**।

छोटे मोटे व गंभीर अपराधों के सभी मामलो में, विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिका किशोर द्वारा किये गये अभिकथित अपराध की सूचना साधारण दैनिक डायरी (जी0डी0 एन्ट्री) में लिखेंगें, सा ही **प्रारूप–1**[5] में किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि और जहॉ कहीं लागू हो किशोर को पकड़े जाने क परिस्थितियों की रिपोर्ट प्रथम सुनवाई के पहले किशोर न्याय बोर्ड को भेजेंगें।

---

[2] धारा 2(33) किशोर न्याय अधिनियम, 2015
[3] धारा 2(54) किशोर न्याय अधिनियम, 2015
[4] धारा 2(45) किशोर न्याय अधिनियम, 2015
[5] धारा 8(1) किशोर न्याय अधिनियम, 2015

3.3 विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक की गिरफ्तारी (धारा–8(1))

- विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को यह ध्यान रखना होगा कि यदि किशोर द्वारा किया गया अपराध जघन्य अपराधों की श्रेणी में आता हो व किशोर को अभिरक्षा में लेना उसके सर्वोत्तम हित में हों तभी उसे अभिरक्षा में लेने की अपनी शक्ति का प्रयोग करें।

- छोटे–मोटे और गम्भीर अपराधों के अन्य मामलों में जहां किशोर के हित में उसे पकड़ा जाना आवश्यक न हो, उसे नहीं पकडेंगें। ऐसे मामलों में पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, **प्रारूप–1** में किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट के साथ उसके द्वारा किये गये अभिकथित अपराध के स्वरूप की जानकारी बोर्ड को भेजेंगें तथा उस किशोर के माता–पिता या अभिभावकों को यह सूचित करेंगें कि किशोर को बोर्ड के समक्ष सुनवाई के लिए कब प्रस्तुत होना है।

- यदि बालक बेवक्त या किसी दूरदराज के स्थान पर पकड़ा जाता है जहॉ से उसे बोर्ड/या बोर्ड के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत नहीं करा जा सकता है, वहॉ बालक को अधिनियम की **धारा–12 की उप–धारा (2)** के अंर्तगत किसी सम्प्रेक्षण गृह में रखेगा। वहॉ से 24 घंटे के भीतर बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। (धारा–9(6))

3.4 पुलिस, SJPU, CWPO हेतु बच्चों से पेश आने की प्रक्रिया (धारा–8(2))

जब विधि का उल्लंघन करने हेतु किसी भी अभिकथित बालक को पुलिस पकड़ती है तब संबंधित पुलिस अधिकारी उस बालक को विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार में सौपें, जो तत्कालः

- बालक के माता–पिता या संरक्षक को इस संबंध में सूचित करेगें। साथ ही वह उन्हें बोर्ड का पता, बालक को प्रस्तुत करने की तारीख और समय की जानकारी भी देगें।

- संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को सूचित करेगें ताकि वह बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और अन्य महत्वपूर्ण परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त कर सके, जो जांच कार्य में बोर्ड के लिए सहायक सिद्ध हो सकती हो, तथा

- बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता को सूचित करेगें जिससे वे भी बालक को पकड़े जाने के समय से चौबीस घंटे के भीतर बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते समय विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के साथ उपस्थित हों।

- अभिरक्षा में लिया गया बालक यदि दूसरे राज्य का है तो संबंधित पुलिस/ग्राम पंचायत/जिला बाल संरक्षण इकाई की सहायता से माता पिता को सूचित किया जायेगा।

- माता पिता को वचन बंध पत्र (Personal bond) की शर्तों के विषय में जानकारी देना। (Sec.50(2) CrPC)

- पुलिस/सी0डब्ल्यू0पी0ओ0 द्वारा दर्ज रिपोर्ट की एक प्रति बालक के माता–पिता/अभिभावक को निःशुल्क दी जायेगी।

- पुलिस/सी0डब्ल्यू0पी0ओ0 द्वारा माता–पिता से बालक की आयु संबंधी दस्तावेज थाने में प्रस्तुत करने हेतु कहा जायेगा।

- बालक को हवालात में नहीं भेजेगें।

- बालक को हथकड़ी या जंजीर नहीं पहनायेगें।
- बालक पर किसी भी प्रकार के दबाव या बल का प्रयोग नहीं करेगें। बालक को अपना अपराध स्वीकार करने क लिए बाध्य नहीं करेगें।
- बालक से संबंधित पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति बालक को निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।
- आवश्यकता अनुसार बालक को दुभाषिये, विशेष शिक्षक, उपयुक्त चिकित्सा या कोई अन्य सहायता उपलब्ध करायेगें।
- बालक से बातचीत के समय उसके माता–पिता या संरक्षक वहां उपस्थित हो सकते हैं।
- बालक से बातचीत विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल सहायक परिसरों में की जायेगी, जहां बालक को ऐसा प्रतीत न हो कि वह पुलिस थाने में है या उसे हिरासत में रखकर उससे पूछताछ की जा रही है।
- बालक को किसी कथन पर हस्ताक्षर करने को नहीं कहेगें।
- बालक को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करेगें।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, सादे कपड़ों में होगें और वर्दी में नहीं होगें।
- बालको से संबंधित मामलों के समाप्त/निस्तारित प्रकरणों में पुलिस द्वारा बच्चों से सम्बंधित रिकार्ड का चरित्र प्रमाण–पत्र अथवा अन्य किसी अभिलेख में उल्लेख नही किया जायेगा। (धारा–74(2))
- पुलिस, विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बालकों के साथ रहने की अवधि में उन बालकों के लिए भोजन, यात्रा खर्च, आकस्मिक चिकित्सीय देखरेख सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए खर्च राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई निधियों से वहन करेगें। (नियम–8(9))
- यदि बालक को थाने से नहीं छोड़ा जाता है तो बालक को पकड़े जाने के समय से 24 घंटे के अंदर जे0जे0बी0 में प्रस्तुत करना। (यात्रा का समय छोड़कर)
- यदि बोर्ड सिटिंग में नहीं है तो बोर्ड के एक सदस्य के समक्ष बालक को पेश किया जा सकता है, बोर्ड के किसी एक सदस्य को Final disposal के अलावा अन्य निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।
- यदि बोर्ड के एक भी सदस्य तक पहुंचना संभव न हो तो बालक को नजदीकी संप्रेक्षण गृह में रखवाना, जब तक कि उसे बोर्ड के समक्ष पेश नहीं किया जाता।
- कोई भी पुलिस अधिकारी/एस0जे0पी0यू/सी0डब्ल्यू0पी0ओ0 यदि बालक/बालिका के साथ क्रूरता करता है तो वह कि0 न्याय अधिनियम 2015 की धारा–75 के अंतर्गत दोषी होगा व विधिक कार्यवाही का भागी होगा।

3.5 प्रकरणों में विवेचना हेतु प्रक्रिया

- एस0जे0पी0यू0/सी0डब्लू0पी0ओ0/पुलिस द्वारा विवेचना को जल्दी से जल्दी पूरा किया जायेगा, जिससे बोर्ड द्वारा 4 महीने के अंदर जांच पूरी की जा सके।
- बालक से की गई पूछताछ को सारांश के रूप में (Version of Child in Conflict with Law) रिकार्ड रखना।

- यदि विधि का उल्लंघन करने वाली कोई बालिका का मामला प्रकाश में आता है तो उसे महिला पुलिस अधिकारी/महिला बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार में रखा व डील किया जायेगा।
- बालक के प्रकरण से संबंधित जांच अधिकारी (Investigation Officer) बालक की आयु को पता करने हेतु कि0 न्याय अधि0 2015 की धारा–94 के अनुसार कार्यवाही करेंगे।
- बालक की आयु संबंधी दस्तावेज (Proof) बालक को पहली बार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते समय दिखाने होंगे।
- यदि किन्ही कारणों से बालक को पकड़े जाने के समय आयु संबंधी दस्तावेज नहीं मिल पाये हैं, तो बोर्ड में चार्जशीट/अंतिम रिपोर्ट लगाने से पहले अतिशीघ्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- एस0जे0पी0यू0/सी0डब्लू0पी0ओ0/पुलिस को जे0जे0बी0 की कार्यवाही (Proceedings) के समय भी सादे वस्त्रों में ही रहना चाहिए।
- एक एस0जे0पी0यू0/सी0डब्लू0पी0ओ0/पुलिस अधिकारी को बच्चों के अधिकारों से संबंधित अन्य अधिनियमों (पाक्सो अधि0, 2012, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2005, बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन अधिनियम, 1986, अनैतिक मानव व्यापार रोकथाम अधि0, 1986 आदि) की भी जानकारी रखनी चाहिए।

3.3 थाने से जमानत हेतु प्रावधान

- जब कोई बालक पुलिस द्वारा गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है तब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति को सिक्योरिटी सहित या रहित जमानत पर छोड़ दिया जाएगा या उसे किसी परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख के अधीन रखा जाएगा।
- परन्तु ऐसे बालक को तब इस प्रकार छोड़ा नहीं जाएगाः–

1. जब यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार प्रतीत होते हें कि उस व्यक्ति को छोड़े जाने से यह संभावना है कि उसका सम्पर्क किसी ज्ञात अपराधी से होगा।
2. उक्त व्यक्ति को छोड़ने से वह नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में आ जाएगा।
3. उस व्यक्ति के छोड़े जाने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

- जब किसी मामले में बालक को अभिरक्षा में नही लिया जाता है, तब माता–पिता या संरक्षक या उस उपयुक्त व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में अभिकथित बालक को रखा गया है, गैर–न्यायिक कागज पर **प्रारूप–2** (संलग्नक) में एक वचन पत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, ताकि जांच या कार्यवाही की तारीखों को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। (कि.न्याय. नियमावली 2016, नियम– 8(7))
- जब गिरफ्तार किए जाने पर ऐसे व्यक्ति को पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तब ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति को ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संप्रेक्षण गृह में केवल तब तक के लिए रखवाएगा जब तक ऐसे व्यक्ति को बोर्ड के समक्ष न लाया जा सके।

बोर्ड द्वारा जमानत

- जब ऐसा व्यक्ति, बोर्ड द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तब वह ऐसे व्यक्ति के बारे में जांच के लंबित रहने के दौरान ऐसी कालावधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उसे यथास्थिति, संप्रेक्षण गृह या किसी सुरक्षित स्थान में भेजने के लिए आदेश करेगा।
- जब विधि का उल्लंघन करने वाला कोई बालक, जमानत के आदेश के सात दिन के भीतर जमानत की शर्तो को पूरा करने में असमर्थ होता है तो ऐसे बालक को जमानत की शर्तो में संशोधन के लिए बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। (कि.न्याय. अधिनियम 2015, धारा–12)

3.7 व्यस्कों के साथ संयुक्त कार्यवाही न होना

- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 223 में या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुऐ भी विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित किसी बालक के साथ किसी ऐसे व्यक्ति की जो बालक नहीं है, संयुक्त कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- यदि बोर्ड द्वारा या बाल न्यायालय द्वारा जांच के दौरान विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित व्यक्ति के बारे में यह पाया जाता है कि वह बालक नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का किसी बालक के साथ विचारण (ट्रायल) नहीं किया जाएगा।

3.8 बच्चों के मामलों में लागू न होने वाले सी0आर0पी0सी0 के प्रावधान

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में या तत्समय प्रवृत किसी निरोध निवारक विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी बालक के विरुद्ध उक्त संहिता के अध्याय 8 की (धारा 106 से 124 तक की कार्यवाही) के अधीन न कोई कार्यवाही संस्थित की जाएगी और न ही कोई आदेश पारित किया जाएगा।

3.9 अभिलेखों को नष्ट किया जाना

विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक की दोष–सिद्धि से संबंधित अभिलेखों को अपील की अवधि समाप्त होने या सात वर्ष, जो भी अधिक हो, तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा और उसके बाद उन्हें यथास्थिति प्रभारी व्यक्ति या बोर्ड या बाल न्यायालय द्वारा नष्ट किया जायेगा,

परंतु यह कि जघन्य अपराध के मामले में जहां अधिनियम के अंतर्गत बालक को वयस्क के रूप में विचारण करने हेतु प्रक्रिया की गई है, के अधीन बालक को विधि का उल्लंघन करते पाया जाये, वहां ऐसे बालक की दोष–सिद्धि के संगत अभिलेखों को बाल न्यायालय अपने पास रखेगा। (कि.न्याय. नियमावली 2016, नियम–14)

3.10 भागे हुए बालक के संबंध में प्रक्रिया

पुलिस अभिरक्षा अथवा संबंधित गृह से भागना

- कोई भी पुलिस अधिकारी बालक का प्रभार ले सकता है।
- बालक को यदि संभव हो तो, उस बोर्ड के समक्ष जिसने उसकी बाबत मूल आदेश पारित किया था, प्रस्तुत किया जायेगा या बालक को उस निकटतम बोर्ड के समक्ष, जहाँ वह पाया गया था, प्रस्तुत किया जायेगा।
- बोर्ड बालक के सम्प्रेषण गृह/पुलिस अभिरक्षा से निकल भागने के कारणों को सुनिश्चित करेगा एवं बालक को या तो उसी संप्रेक्षण गृह या किसी अन्य संप्रेक्षण गृह, जिसको बोर्ड ठीक समझे, भेजे जाने का आदेश पारित करेगा।
- बोर्ड बालक के सर्वोत्तम हित में अतिरिक्त आदेश भी पारित कर सकता है।
- बालक के विरुद्ध संप्रेक्षण गृह/पुलिस अभिरक्षा से भाग जाने हेतु कोई अतिरिक्त कार्यवाही नहीं होगी।

बालक का बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत न होना

- जब विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक जमानत दिए जाने के बाद सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाता है और उसकी ओर से पेशी से छूट के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसे पेशी से छूट देने के लिए कोई पर्याप्त कारण न हो तब बोर्ड बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और पुलिस थाना प्रभारी को बालक को प्रस्तुत करने के निर्देश जारी करेगा।
- यदि बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने के निर्देश जारी किए जाने के बाद भी बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो बोर्ड, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी करने के स्थान पर अधिनियम की धारा 26 के अधीन उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

3.11 व्यस्क हेतु प्रक्रिया–जब अपराध 18 वर्ष से कम आयु में किया गया हो (धारा–6)

- ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है और उसे उस समय, जब वह अठारह वर्ष की आयु से नीचे का था, किसी अपराध को करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक समझा जाएगा।
- ऐसे व्यक्ति को यदि उसे बोर्ड द्वारा जमानत पर छोड़ा नही जाता है, जांच की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा।

अध्याय– 4

A. बच्चों के विरूद्ध अपराध

4.1 बच्चों के विरूद्ध अपराधों में पुलिस द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया (नियम–54)

- किसी बालक के विरूद्ध अपराध की शिकायत बालक, परिवार, संरक्षक, बालक के मित्र अथवा अध्यापक, चाइल्ड लाइन सेवा अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था अथवा संबंधित संगठन द्वारा की जा सकती है।
- किसी बालक के विरूद्ध संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना की प्राप्ति पर, पुलिस द्वारा तुरंत प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज की जायेगी।
- किसी बालक के विरूद्ध गैर–संज्ञेय अपराध की सूचना पर, पुलिस जी0डी0 एन्ट्री दर्ज करेगी, जिसे तुरंत संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजा जायेगा। जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973, की धारा– 155 की उपधारा (2) के अधीन सीधी उचित कार्यवाही करेगा।
- बालक के विरूद्ध अपराधों के सभी मामलों में थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा विवेचना की जायेगी।
- जहां बालकों के प्रति अपराध किसी देखभाल संस्था अथवा दत्तक इकाई के अंतर्गत किया जाता है, तो समिति या बोर्ड जैसा भी लागू हो, के द्वारा संस्था का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।
- जहां एफ0आई0आर0 किसी देखभाल संस्था अथवा दत्तक इकाई के कर्मचारी के खिलाफ है वहां उसे नौकरी से हटाया जायेगा व भविष्य में नियुक्ति से अयोग्य ठहराया जायेगा।
- बालक की तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा किया जायेगा।
- बालक/बालिका के बयान (Sec. 161, CrPC, 1973) उसके द्वारा बताये गये अक्षरशः (Verbatim) तरीके से दर्ज किये जायेंगे।
- बयान बालक/बालिका के घर पर अथवा उसकी मनचाही जगह अथवा थाने पर बाल अनुकूल वातावरण में दर्ज किये जायेंगे।
- बालिका के बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिये जायेंगे।

4.2 बच्चों के प्रति होने वाले प्रमुख अपराध व प्रक्रिया

जब किसी बालक/बालिका के प्रति अपराध का संज्ञान पुलिस/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/एस0जे0पी0यू0 द्वारा लिया जाता है तो आई0पी0सी0, पॉक्सो एक्ट व अन्य स्पेशल एक्टों के अतिरिक्त किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित धाराओं को भी आवश्यकता अनुसार लगाना चाहिए।

1. बालक की पहचान प्रकट करने हेतु प्रतिषेध (धारा–74)

कोई भी समाचार पत्र, पत्रिका या ऑडियो–वीडियो मीडिया या अन्य कोई संवाद के माध्यम के द्वारा विधि से संघर्षरत बच्चे अथवा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे अथवा पीड़ित बच्चे अथवा साक्षी बच्चे के संबंध में जांच, अन्वेषण या न्यायिक कार्यवाही के तहत बच्चे की पहचान यथा बच्चे का नाम, पता व फोटो या अन्य विवरण का उजागर/प्रकाशन करता है, तो संबंधित व्यक्ति को 6 माह तक की सजा तथा 2.00 लाख रूपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

2. बालक के प्रति क्रूरता के लिए दंड (धारा–75)

कोई भी व्यक्ति जो बच्चे का वास्तविक प्रभार अथवा नियंत्रण करता है, द्वारा बच्चे पर प्रहार/हमला किया जाता है या परित्याग किया जाता है या उत्पीड़न किया जाता है या जान बूझकर बच्चे की उपेक्षा की जाती है या उस पर प्रहार/हमला या परित्याग या उत्पीड़न करवाता है, जिससे बच्चे को शारीरिक या मानसिक कष्ट होने की संभावना है, तो ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष की सजा या 1.00 लाख रूपये के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

- यदि ऐसी हिंसा/क्रूरता किसी संस्था के व्यक्ति के द्वारा की जाती है, जो उसकी सुरक्षा एवं देखभाल के उत्तरदायी है, तो उसे अधिकतम 5 वर्ष की सजा तथा 5.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।
- यदि क्रूरता के कारण बालक शारिरिक, मानसिक रूप से अक्षम हो जाता है या उसके जीवन, अंग को खतरा होता है, ऐसा व्यक्ति कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और पांच लाख रूपये के जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

प्रक्रिया

- इस अधिनियम की धारा 75 तथा इस नियम के प्रयोजनार्थ, किसी बालक का विवाह करना बालक के साथ क्रूरता समझा जाएगा। विवाह किए जाने वाले बालक के जोखिम की सूचना की प्राप्ति पर पुलिस अथवा इस अधिनियम के कोई अधिकारी बालक को उपयुक्त निर्देशों तथा पुनर्वास उपायों के लिए समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेगें।
- जहॉं किसी बालक के साथ क्रूरता का कार्य किसी बाल देखरेख संस्था, अथवा किसी स्कूल में अथवा बालक को रखे गए किसी देखभाल और संरक्षण के किसी स्थान पर होता हैं तो बालक के सर्वोत्तम हित को समझते हुए बालक तथा माता पिता अथवा संरक्षकों से परामर्श के उपरांत बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय बालक के लिए वैकल्पिक पुनर्वास उपलब्ध कराएगा।
- अधिनियम के अधीन आने वाले बालक को इस संबंध में बोर्ड अथवा समिति द्वारा दिए गए निर्देश पर किसी अस्पताल अथवा क्लीनिक अथवा सुविधा के अधीन निःशुल्क अपेक्षित चिकित्सा देखभाल और उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। तुरंत चिकित्सा उपलब्ध कराने में हुई विफलता जिसके कारण गंभीर चोट, अनिवार्य क्षति अथवा जीवन जाने की आशंका अथवा मृत्यु हुई हो, बालक के प्रति जान बूझकर की गई लापरवाही समझा जाएगा तथा विस्तृत जांच के बाद बोर्ड अथवा समिति के निर्देश पर अधिनियम की धारा–75 के अधीन क्रूरता के समतुल्य होगा।

3. भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन (धारा–76)

कोई भी व्यक्ति जो बच्चे से भीख मंगवाने के लिए किसी बच्चे को नियोजित करता है या उसका उपयोग करता है या उससे भीख मंगवायेगा, तो उसे अधिकतम 5 वर्ष की सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

परंतु यदि भीख मंगवाने के उददेश्य से बालक के किसी अंग का विच्छेदन या उसे विकलांग बनाता है तो वह कम से कम सात वर्ष व दस वर्ष तक के कारावास और पांच लाख रूपये तक के जुर्माने से भी दंडनीय होगा। (धारा–76(1))

कोई भी व्यक्ति जो बच्चे का वास्तविक प्रभार अथवा नियंत्रण करता है, यदि वह बच्चे से भीख मंगवाने के लिए किसी बच्चे को नियोजित करता है या उसका उपयोग करता है या उससे भीख मंगवाने दुष्प्रेरण करता है, तो उसे बच्चे की देखभाल एवं पालन–पोषण के लिए योग्य/उपयुक्त नहीं माना जायेगा।

परंतु ऐसे बालक को किन्हीं परिस्थितियों में विधि का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जायेगा और उसे उस व्यक्ति के नियंत्रण से निकालकर उसके समुचित पुर्नवास हेतु समिति के समक्ष पेश किया जायेगा।(धारा–76(2))

4. बालक को मादक लिकर या स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ देने के लिए दंड (धारा–77)

कोई भी व्यक्ति बिना किसी अधिकृत चिकित्सक के आदेश पर सार्वजनिक स्थान पर बच्चे को नशीली शराब या नशीले पदार्थ/मादक औषधि या तम्बाकू उत्पाद देता है या दिलवाता है, तो उसे अधिकतम 7 वर्ष की सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

प्रक्रिया

- जब कभी कोई बालक मदान्ध करने वाली शराब अथवा स्वापक नशीले पदार्थ अथवा मनः प्रभावी पदार्थो अथवा तम्बाकू उत्पादों के प्रभाव में अथवा लत में बिक्री के प्रयोजनार्थ सहित पाया जाता हैं तो पुलिस इस बात की जांच करेगी कि बालक किस प्रकार से ऐसे मदान्ध करने वाली अथवा स्वापक नशीले पदार्थो अथवा मनः प्रभावी अथवा तम्बाकू उत्पादों के प्रभाव में आया अथवा लत पड़ी तथा तुरंत प्र0सू0रि0 दर्ज करेगी।
- वह बालक जिसको स्वापक नशीले पदार्थ अथवा मनः प्रभावी का सेवन कराया गया है अथवा इसके प्रभाव में पाया जाता है तो उसे बोर्ड या समिति, यथा स्थिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए तथा बोर्ड या समिति बालक के पुनर्वास तथा नशे को छुड़ाने के संबध में उचित आदेश पारित करेगी।
- यदि कोई बालक मदान्ध करने वाली शराब अथवा तम्बाकू उत्पादों का आदी पाया जाता है, तब बालक को समिति के सम्मुख पेश किया जाएगा जो बालक की नशे की लत छुड़ाने और इस प्रयोजन के लिए अभिज्ञात उपयुक्त सुविधा में बालक के स्थानान्तरण सहित पुनर्वास के लिए निर्देश पारित करेगी।
- यदि कोई बालक मदान्ध करने वाली शराब अथवा स्वापक नशीले पदार्थ अथवा मनः प्रभावी पदार्थ अथवा तम्बाकू उत्पाद किसी बाल देखभाल संस्था में लेते हुए पाया जाता है तो बालक को तुरंत बोर्ड या समिति के सम्मुख पेश किया जायेगा सिवाय उस स्थिति में जब उसकी तुरंत चिकित्सा की जानी अपेक्षित हो।
- बोर्ड द्वारा स्वयं या समिति से प्राप्त शिकायत पर, तुरंत प्र0सू0रि0 दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश जारी किया जाएगा।
- मदान्ध करने वाली शराब तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकान को अपनी दुकान पर प्रमुख स्थान पर एक संदेंश प्रदर्शित करना चाहिए कि किसी बालक को मदान्ध करने वाली शराब या तम्बाकू उत्पाद देना और बेचना एक दंडनीय अपराध हैं जिसमें 7 वर्ष तक का सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा।

- सभी तम्बाकू उत्पाद और मदान्ध करने वाली शराब पर अवश्य ही संदेश प्रदर्शित होना चाहिए कि किसी बालक को मदान्ध करने वाली शराब अथवा तम्बाकू उत्पाद देना और बेचना एक दण्डनीय अपराध हैं जिसमें 7 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।
- इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अथवा मान्यता प्राप्त किसी बाल देखभाल संस्था के अथवा किसी समिति अथवा बोर्ड कार्यालय के 200 मीटर के भीतर मदान्ध करने वाली शराब, स्वापक नशे के पदार्थ अथवा मनः प्रभावी पदार्थ अथवा उत्पादों को देना अथवा बेचना इस अधिनियमों की धारा 77 के अधीन अपराध माना जाएगा।

5. किसी बालक को नशीले पदार्थ विक्रय, क्रय हेतु उपयोग किया जाना (धारा–78)

कोई भी व्यक्ति नशीली शराब या नशीले पदार्थ/मादक औषधि के विक्रय, फुटकर क्रय–विक्रय, साथ रखने, आपूर्ति करने अथवा तस्करी में बच्चे का उपयोग करेगा, तो उसे अधिकतम 7 वर्ष की कठोर सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

प्रक्रिया

- जब कभी कोई बालक मदान्ध करने वाली शराब, स्वापक नशीली दवाएं या मनः प्रभावी पदार्थ बेचता, ले जाता है, आपूर्ति करता या तस्करी करता पाया जाता है तो पुलिस इस बात की जांच करेगी कि बालक पर कैसे और किसके संपर्क में मदान्ध करने वाली शराब, स्वापक नशीली दवाओं अथवा मनः प्रभावी पदार्थों की लत पड़ी तथा तुरंत प्र0सू0रि0 दर्ज करेगी।
- कोई बालक जो अधिनियम की धारा 78 के अधीन अपराध करने का अभिकथित है उसे बोर्ड के सम्मुख पेश किया जाएगा। यदि बालक की देखभाल और संरक्षण की जरुरत है तो उसे बोर्ड द्वारा समिति के पास भेजा जाएगा।

6. किशोर बालक कर्मचारी का शोषण (धारा–79)

कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के लिए बच्चे को अपने पास रखता है या बंधुआ रखता है या उसकी आय को रोकता या स्वयं के लिए उसका उपयोग करता है तो उसे अधिकतम 5 वर्ष की कठोर सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरणः– इस धारा के प्रयोजन के लिए नियोजन पद के अंतर्गत माल और सेवाओं का विक्रय और आर्थिक लाभ के लिए लोक स्थानों में मनोरंजन करना भी होगा।

7. विहित प्रकियाओं का अनुसरण किए बिना दत्तक ग्रहण करने के लिए दांडिक उपाय (धारा–80)

कोई भी व्यक्ति या संस्था द्वारा अनाथ, परित्यक्त, समर्पित बच्चे को दत्तक ग्रहण/गोद लेने की प्रक्रिया के बिना बच्चे को देने का प्रस्ताव रखता या देता है या प्राप्त करता है, तो उस व्यक्ति या संस्था को अधिकतम 3 वर्ष की सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

प्रक्रिया

- जहां कोई अनाथ, परित्यक्त या छोड़ा गया बालक इस अधिनियम में यथा प्रदत्त प्रक्रियाओं और नियमों का अनुपालन किए बिना दत्तक ग्रहण के प्रयोजनार्थ पेश अथवा दिया अथवा लिया जाता हैं तो पुलिस स्व प्रेरणा से अथवा इस संबंध में सूचना की प्राप्ति पर तुरंत प्र0सू0रि0 दर्ज करेगी।
- वह बालक जिसे दत्तक ग्रहण के प्रयोजनार्थ दिया अथवा लिया जाता हैं को तुरंत समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा जो ऐसे बालकों को विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण में रखने सहित बालक को पुनर्वास हेतु उचित निर्देश पारित करेगी।

8. बालक का किसी प्रयोजन के लिए क्रय विक्रय (धारा–81)

कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को प्राप्त करता है या खरीदता है या बेचता है, तो उसे अधिकतम 5 वर्ष की सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। यदि ऐसा कार्य बच्चे का वास्तविक प्रभार अथवा नियंत्रणकर्ता के द्वारा अथवा अस्पताल/नर्सिंग होम/प्रसूति केन्द्र के कर्मचारी द्वारा किया जाता है तो उसे न्यूनतम 3 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा से दण्डित किया जा सकेगा।

प्रक्रिया

- किसी बालक को बेचने अथवा खरीदने के बारे में सूचना प्राप्त करने पर पुलिस अविलंब प्र0सू0रि0 दर्ज करेगी।
- प्राधिकरण द्वारा तैयार दत्तक ग्रहण विनियमों के अधीन यथा अनुमति प्राप्त को छोडकर दत्तक ग्रहण विचार से किसी संबंधित दत्तकग्राही माता–पिताओं अथवा बालक के माता–पिता अथवा संरक्षक अथवा विशेषीकृत दत्तक ग्रहण द्वारा अभिकरण शुल्क अथवा सेवा प्रभार अथवा बाल देखभाल संपत्ति के विषय में कोई भुगतान अथवा पारितोषिक देना या देने पर सहमत होना प्राप्त करना अथवा प्राप्त करने पर सहमत होना इस अधिनियम की धारा 81 तथा इस नियम के अधीन अपराध समझा जाएगा।
- बेचने अथवा खरीदने के अध्याधीन कोई बालक अविलंब समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, समिति उस बालक के पुनर्वास के लिए उचित आदेश पारित करेगी।
- जहां किसी माता पिता अथवा बालक के संरक्षक अथवा वास्तविक प्रभार रखने वाले व्यक्ति अथवा बालक के अभिरक्षक द्वारा इस अधिनियम की धारा 81 के अधीन कोई अपराध किया जाता है समिति यथास्थिति किसी बाल देखभाल संस्था उपयुक्त संस्था अथवा किसी उपयुक्त व्यक्ति के साथ बालक को रखने के लिए उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

9. शारीरिक दंड (धारा–82)

किसी बाल देखरेख संस्था में बच्चे का वास्तविक प्रभारकर्ता अथवा संस्था में कार्यरत कर्मचारी द्वारा बच्चे को अनुशासित करने के लिए जानबूझकर शारीरिक दण्ड दिया जाता है, तो उसे प्रथम अपराध पर 10,000 रूपये का जुर्माना तथा इस प्रकार की घटना/अपराध की पुनरावृत्ति करने पर उसे अधिकतम 3 माह की सजा तथा जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।

बाल देखरेख संस्था द्वारा संस्था में बच्चों की शारीरिक दण्ड देने की घटना में संबंधित जांच में सहयोग नहीं दिया जाता है या किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति के आदेशों की पालना नहीं की जाती है, तो संस्था के प्रभारी को न्यूनतम 3 वर्ष की सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

प्रक्रिया

- इस अधिनियम की धारा 82 के अधीन बालक को शारीरिक दण्ड देने की शिकायत, बालक द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य द्वारा दी जा सकती है।
- प्रत्येक बाल देखभाल संस्था शारीरिक दण्ड की शिकायतें प्राप्त करने के लिए अपने भवन में एक प्रमुख स्थल पर शिकायत पेटिका रखेगी।
- शिकायत पेटिका मास में एक बार जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जाएगी।
- ऐसी सभी शिकायतें बाल देखभाल संस्था के नजदीक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत की जाएगी तथा तत्संबंधी प्रतियाँ बोर्ड या समिति को भेजी जाएगी।
- न्यायिक मजिस्ट्रेट, संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा मामले को जांचने के लिए देगा, तथा कोई शिकायत प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही करेगा।
- बोर्ड या समिति, बालक जिसने शिकायत की हैं अथवा जो शारीरिक दंड के अध्याधीन रहा है, के सर्वोत्तम हित में उसे अन्य बाल देखभाल संस्था में स्थानान्तरित करने पर विचार कर सकती है।
- जहां प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट यह पाता है कि संस्था का प्रबंधन इस अधिनियम की धारा 82 की उपधारा 3 के अधीन जांच में सहयोग अथवा न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रहा हैं वहां प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या तो स्वयं अपराध का संज्ञान लेगा अथवा प्र0सू0रि0 के रजिस्ट्रीकरण का निर्देश देगा तथा संस्था के प्रबंधन के भार साधक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
- जहां बोर्ड अथवा समिति अथवा राज्य सरकार बाल देखभाल में शारीरिक दंड की किसी घटना के संबंध में संस्था के प्रबंधन को कोई निर्देश जारी करता हैं प्रबंधन इनका पालन करेगा।
- गैर अनुपालन के मामले में बोर्ड या समिति स्वयं या राज्य सरकार की शिकायत पर इस अधिनियम की धारा 82 की उपधारा 3 के अधीन 21(2) के अधीन प्र0सू0रि0 का प्रत्यक्ष रजिस्ट्रीकरण करेगा।
- जहां अथवा इस अधिनियम की धारा 82 की उपधारा 21(2) के अधीन कोई व्यक्ति बालक को शारीरिक दंड देने के अपराध का दोषी पाया जाता हैं तो उसे इस अधिनियम तथा नियमों के अधीन आगे कहीं नियुक्ति से अयोग्य ठहराया जायेगा।

10. उग्रवादी समूहों, गैंग या अन्य व्यस्कों द्वारा बालक का उपयोग (धारा–83)

केन्द्र सरकार द्वारा गैर राजकीय स्वयंभू उग्रवादी समूह या दल के रूप में पहचान किए गए समूह या दल द्वारा किसी भी कार्य के लिए बच्चों को भर्ती/नियुक्त किया जाता है या उपयोग करता है, तो उसे अधिकतम 7 वर्ष की कठोर सजा तथा 5.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–83(1))

किसी वयस्क व्यक्ति या वयस्क समूह द्वारा गैरकानूनी कार्य के लिए स्वयं के स्तर पर अथवा गैंग के रूप बच्चे का उपयोग किया जाता है, उस व्यक्ति को अधिकतम 7 वर्ष की कठोर सजा तथा 5.00 लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा। (धारा–83(2))

जहां बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया बालक उपरोक्त धारा 83 के अधीन आता हो जिसे अभिरक्षा में लि गया है, के सम्बंध में बोर्ड विधिवत जांच और बालक की परिस्थितियों के विषय में अपनी संतुष्टि कर लेने बाद उस बालक को देख रेख संरक्षण के जरूरतमंद बालक के रूप में आवश्यक कार्यवाही तथा पूनर्वास लिये उपयुक्त निर्देश जारी करने हेतु समिति को भेज सकता है, जिसके अन्तर्गत इस कार्यवाही अथवा निर्दे में बालक की सुरक्षित अभिरक्षा और संरक्षण हेतु उपयुक्त सुविधा को अन्तरित करने के आदेश तथा बालक संरक्षण और सुरक्षा के लिए उसे जिले या राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य में भेजने के विषय में समिति विच कर सकती है। (नियम–9(3))

11. बालक का व्यपहरण और अपहरण (धारा–84)

किसी बालक के व्यपहरण और अपहरण की दशा में भारतीय दंड सहिता (1860 का 45) की धारा 359 से धा 369 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित किसी ऐसे बालक या अव्यस्क पर लागू होंगें, जो अट्ठारह व से कम आयु का है और तदनुसार सभी उपबंधों का वही अर्थ लगाया जाएगा।

12. निःशक्त बालकों पर किये गये अपराध (धारा–85)

किसी अपराध को किसी बालक पर, जिसे किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा इस प्रकार निःशक्त रुप में प्रमाणि किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए उपबंधित दोहरे दंड का दायी होगा।

स्पष्टीकरणः– इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए निःशक्तता पद का वही अर्थ होगा जो निःशक्त व्यक्ति समा अवसर अधिकारी संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 (1996 का 1)की धारा 2 के खंड (झ) में उसक है।

- **उपरोक्त में से कोई भी अपराध दुष्प्रेरण (बहकाना/उकसाना) के फलस्वरूप घटित हो जाता है, तो ऐसे दुष्प्रेरक व्यक्ति को भी अपराध की निर्धारित सजा से दण्डित किया जायेगा। (धारा–87)**
- **जहां कोई व्यक्ति कोई ऐसा अपराध घटित करता है जो इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य विधि य अधिनियम में भी दंडनीय है तो ऐसा व्यक्ति, उस विधि के दंड का दायी होगा, जो मात्रा में अधिक है (धारा–88)**
- **यदि उपरोक्त अपराध किसी बालक द्वारा किया जाता है तो वह इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाला बालक माना जायेगा। (धारा–89)**

43 भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत बच्चों के प्रति अन्य अपराध

धारा	अपराध
धारा 302	हत्या
धारा 305	आत्महत्या के लिए उकसाना
धारा 315	शिशु हत्या – 0 से 1 वर्ष की आयु
धारा 316	भ्रूण हत्या
धारा 317	उद्‌भासन तथा परित्याग
धारा 319	चोट
धारा 320	हानिकारक चोट
धारा 321	जानबूझकर चोट पहुंचाना
धारा 322	जानबूझकर हानिकारक चोट पहुंचाना
धारा 324	खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट पहुँचाना
धारा 339	गलत तरीके से नियंत्रित करना
धारा 340	गलत तरीके से परिरोध करना
धारा 370	अवैध व्यापार
धारा 360	बाहर बेचने के लिए अपहरण करना
धारा 361	विधिसम्मत अभिभावक बनने के लिए अपहरण करना
धारा 362	अपहरण करना
धारा 363	अपहरण के लिए दण्ड
धारा 363 क	भीख मंगवाने के लिए अपहरण करना
धारा 366	विवाह के लिए विवश करने हेतु अपहरण करना
धारा 366 क	अवयस्क लड़कियों से किसी अन्य व्यक्ति का संभोग कराना
धारा 366 ख	लड़कियों का आयातन
धारा 367	गुलामी करने के लिए अपहरण करना

धारा 369	चोरी करवाने के लिए बच्चों का अपहरण करना – 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए
धारा 372	वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों को बेचना
धारा 373	वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों को खरीदना
धारा 376	बलात्कार
धारा 377	अप्राकृतिक अपराध
धारा 384	फिरौती के लिए अपहरण करना

नोटः– ये वे धाराएँ हैं जिनको राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा अपने विश्लेषण हेतु एकत्र किया गया है।

4.4 बच्चों के प्रति अपराधों में सक्षम न्यायालय (धारा–86)

बच्चों के विरूद्ध अपराधों के प्रकरणों का विचारण निम्नानुसार वर्णित न्यायालयों द्वारा किया जायेगाः–

- ऐसे अपराध जिनमें 3 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, या केवल जुर्माने का प्रावधान है वे गैर संज्ञेय जमानती होंगे, जिनका विचारण किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।
- ऐसे अपराध जिनमें 3 वर्ष से 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, वे संज्ञेय, गैर जमानती होंगे, जिनका विचारण प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।
- ऐसे अपराध जिनमें 7 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान है, वे संज्ञेय, गैर जमानती होंगे, जिनका विचारण बाल न्यायालय (जिला एवं सत्र न्यायालय) द्वारा किया जायेगा।

B. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट, 2012)

4.5 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट, 2012)

भारत सरकार द्वारा बच्चों के विरूद्ध बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष कानून 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012' (Protection of children from Sexual Offences Act, 2012) लागू किया गया है। यह अधिनियम एवं आदर्श नियम 14 नवंबर 2012 से पूरे देश में प्रभावी हुआ है।

लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में 18 वर्ष की आयु से कम के बालक/बालिकाओं को सम्मिलित किया गया है। यह अधिनियम बच्चों को सभी प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न, गंभीर लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक शोषण/हिंसा, लैंगिक हमला, अश्लील चित्र दिखाना, अश्लील कार्य बच्चों से करवाना, अश्लील टिप्पणियां, गाली देना, अश्लील सामग्री का भंडारण, व बच्चों की खरीद फरोख्त सहित लैंगिक शोषण हेतु बच्चों की तस्करी आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम में स्थानीय पुलिस एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई को विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गये हैं।

ऐसी स्थिति में इन घटनाओं की रोकथाम एवं बच्चों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए पाक्सो अधिनियम 2012 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना अतिआवश्यक है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत प्रत्येक थाने में नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी अथवा पुलिस के सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त विवेचना अधिकारी (आई.ओ.) बच्चों के विरूद्ध लैंगिक अपराधों के मामलों को देखने के लिए जिम्मेदार होंगे तथा प्रत्येक मामले में उनके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रिया रहेगी:–

4.6 मामलों को रिपोर्ट करना (धारा 19)

1. कोई व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत बालक भी है) जिसको यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किये जाने की संभावना है या यह जानकारी रखता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है वह निम्नलिखित को ऐसी जानकारी उपलब्ध करायेगा:–

   (क) विशेष किशोर पुलिस इकाई या

   (ख) स्थानीय पुलिस

2. अपराध के अधीन दी गई प्रत्येक रिपोर्ट में :–

   (क) एक प्रविष्टि संख्या अंकित होगी और लेखबद्ध की जायेगी।

   (ख) सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जायेगी।

   (ग) पुलिस यूनिट द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्ट की जायेगी।

3. जहां रिपोर्ट स्वयं बालक/बालिका द्वारा दी गई है, उसे सरल भाषा में लिखा जाये जिससे बालक/बालिका अभिलिखित की जा रही अंर्तवस्तु को समझ सके।

4. उस दशा में जहां रिपोर्ट जिस भाषा में लिखी जा रही है वह बालक नही समझता है तो अनुवादक या दुभाषिये की सहायता ली जाये।

5. यदि पुलिस/एस0जे0पी0यू0 को यह ज्ञात हो जाता है कि बालक को देखरेख व सुरक्षा की आवश्यकता है तो उसे तुरंत नजदीकी (24 घंटे के अंदर) अस्पताल अथावा संरक्षण गृह में भर्ती कराया जाये।

6. बिना विलम्ब किये बालक/बालिकाओं को 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति और विशेष न्यायालय में प्रस्तुत करेंगें, जहां विशेष न्यायालय नही है वहां सेशन न्यायालय को रिपोर्ट करेंगें। बाल कल्याण समिति द्वारा बालक/बालिका की देखरेख व सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।

7. यदि कोई बालक/व्यक्ति सद्भावना में पुलिस को अपराध की जानकारी देता है (सिविल या दांडिक) उसका कोई दायित्व उपगत नहीं होगा।

मामलों को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता (धारा–20)

मीडिया या होटल या लाज या अस्पताल या क्लब या स्टूडियों या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई कर्मचारी (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो) बच्चों से जुड़ी कोई भी शोषण, अश्लील साहित्य, सामग्री, लैंगिक शोषण की घटना आदि से पुलिस या विशेष किशोर पुलिस ईकाई को अवगत करायेगा।

मामलों को रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड (धारा–21)

1. कोई व्यक्ति जो धारा 19 की उपधारा (1) या धारा 20 के अधीन किसी अपराध के किये जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहता है या जो धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे अपराध को अभिलिखित करने में विफल रहता है, वह किसी भी प्रकार के कारावास से, जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

2. किसी कम्पनी या किसी संस्था (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो) का प्रभारी या कोई अन्य व्यक्ति जो अपने नियंत्रणाधीन किसी अधीनस्थ के संबंध में धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध को किये जाने की रिपोर्ट करने में असमर्थ रहता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होंगे।

3. धारा 21 की उपधारा(1) के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी प्रकार बालक पर लागू नही होगें।

4.7 बालक के कथन का अभिलिखित किया जाना (धारा–24)

1. बालक के कथन को बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहां वह साधारणतया निवास करता है या उसकी पसंद के स्थान पर और जहां तक संभव हो, उप निरीक्षक के स्तर अथवा उच्च स्तर की किसी स्त्री पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।
2. बालक के कथन को अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा।
3. अन्वेषण करते समय पुलिस अधिकारी, बालक या परीक्षण करते समय यह सुनिश्चित करेगें कि किसी भी समय पर बालक अभियुक्त के किसी भी प्रकार के संपर्क में न आएं।
4. किसी बालक को किसी भी कारण से रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन में निरूद्ध नहीं किया जायेगा।
5. पुलिस अधिकारी बच्चे की पहचान पब्लिक मीडिया से बचाकर रखेंगे जब तक विशेष न्यायालय द्वारा बालक के हित में कोई ऐसा आदेश नहीं दिया गया है जिससे बालक की पहचान उजागर करना आवश्यक हो।

मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन (धारा–25)

1. यदि बालक का कथन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किया गया है तो ऐसे कथन का अभिलेखन मजिस्ट्रेट, उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बालक द्वारा बोले गये अनुसार कथन अभिलिखित करेगा, परंतु संहिता की धारा 164 की उपधारा (1) में दिये गये उपबंध, जहां अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति के लिए कहा गया है, इस मामले में लागू नही करेगा।
2. मजिस्ट्रेट बालक और उसके अभिभावकों या प्रतिनिधि को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 207 के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेज की एक प्रति, उस संहिता की धारा 173 के अधीन पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट फाइल किए जाने पर प्रदान करेगा।

अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध (धारा–26)

1. यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, बालक के माता पिता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की जिसमें बालक का भरोसा या विश्वास है, की उपस्थिति में बालक द्वारा बोले गये अनुसार कथन अभिलिखित करेगा।
2. जहां आवश्यक है, वहां यथास्थिति, मजिस्ट्रेट य पुलिस अधिकारी, बालक का कथन अभिलिखित करते समय किसी अनुवादक या किसी दुभाषिये जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, की सहायता ले सकेगा।
3. यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी बालक का कथन अभिलिखित करने के लिए मानसिक या शारीरिक निःशक्तता वाले बालक के मामले में किसी विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क की रीति से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ, जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, की सहायता ले सकेगा।
4. जहां आवश्यक है, वहां यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी सुनश्चित करेगा कि बालक का कथन श्रव्य–दृश्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों से भी अभिलिखित किया जाए।

4.8 बालक की चिकित्सीय परीक्षा (धारा–27)

1. उस बालक की चिकित्सीय परीक्षा, जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, इस बात के होते हुए भी कि इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए कोई प्रथम सूचना रिर्पोट या परिवाद रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 164 (क) के अनुसार संचालित की जाएगी।
2. यदि पीड़ित कोई बालिका है तो चिकित्सीय परीक्षा किसी महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी।
3. चिकित्सीय परीक्षा बालक के माता–पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी जिसमें बालक का भरोसा या विश्वास रखता हो।
4. जहां उपधारा (3) में निर्दिष्ट बालक के माता पिता या ऐसा अन्य व्यक्ति बालक की चिकित्सा जांच के दौरान किसी कारण से उपस्थित नही हो सकता है तो चिकित्सा जांच, चिकित्सा संस्था के प्रमुख द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी महिला की उपस्थिति में की जाएगी।

43 लैंगिक अपराधों के प्रकरणों में पुलिस/विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस0जे0पी0यू0) के कर्तव्य

- शिकायतकर्ता को अपना व अपने उच्च अधिकारी का नाम, पद, फोन न0. इत्यादि उपलब्ध कराना।
- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा, 154 के अंतर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज करना।
- बच्चे के द्वारा दी गई सूचना को सरल व आसान शब्दों में लिखना ताकि बालक/बालिका उसको समझ सके।
- पीड़ित बालिका द्वारा दी गई सूचना को रिकार्ड करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी की सहायता ली जानी चाहिए।
- दी गई सूचना पर एक इन्ट्री नम्बर उपलब्ध कराया जायेगा।
- दी गई सूचना को शिकायतकर्ता/पीड़ित को पढ़कर सुनाया जायेगा।
- यदि पीड़ित बालक/बालिका उस भाषा को नहीं समझ पा रहा है, जिस भाषा में पुलिस/एसजेपीयू सामान्यातः कार्य करते हैं। तो पीड़ित बालक/बालिका से संवाद स्थापित करने व सूचना लेने हेतु योग्य अनुवादक, दुभाषिये की सहायता ली जायेगी।
- SJPU द्वारा अपनी पुस्तिका में भी शिकायत की इन्ट्री की जायेगी।
- शिकायतकर्ता को एफ0आई0आर0 की एक प्रतिलिपि निःशुल्क दी जायेगी। (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा–154)
- पीड़ित व उसके परिवार/संरक्षक या नातेदार या जिस पर बालक/बालिका का विश्वास हो, को आपातकालीन सरकारी एवं गैर–सरकारी सुविधाओं एवं स्वास्थ्य सहायता सुविधाओं की जानकारी दी जायेगी।
- बालक/बालिका की देखरेख व संरक्षण हेतु तत्काल आंकलन करना।
- आवश्यक होने पर तुरंत मेडिकल सुविधा उपलब्ध करायें।
- यदि बालक/बालिका बिना परिवार की देखरेख में है या किसी अपराधी की संगत में है या अपराधी की संगत में आने की संभावना है, या बालक/बालिका किसी शेल्टर होम अथवा बाल गृह में रह रहा है जहां उसका लैंगिक शोषण हुआ है, की स्थिति में शिकायत दर्ज करने से 24 घंटे के अंदर उसे जिले की बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जिस पर बाल कल्याण समिति उचित निर्देश व सहायक व्यक्ति उपलब्ध करायेगी।

- सहायक व्यक्ति की नियुक्ति के बारे में विशेष न्यायालय (पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के विचारण हेतु स्थापित) को सूचना दी जायेगी। जहां विशेष न्यायालय नहीं हैं वहां सेशन न्यायालय को सूचना भेजी जायेगी।
- शिकायत के पंजीकरण होने के 24 घंटों के भीतर बालक/बालिका को चिकित्सीय परीक्षण हेतु अस्पताल लेकर जायें।
- चिकित्सीय परीक्षण के दौरान व अन्य एकत्र किये गये सभी नमूने व साक्ष्य, फोरेंसिक लैब को अतिशीघ्र भिजवायें।
- दंड प्रक्रिया संहिता, की धारा 164 के अंतर्गत बयान दर्ज कराने हेतु, शिकायत दर्ज होने के 24 घंटों के अंदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बालक को प्रस्तुत करें।
- बालिका के बयान (दंड प्रक्रिया संहिता, की धारा 164) हेतु जहां तक संभव हो महिला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अथवा महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।
- दंड प्रक्रिया संहिता, की धारा 164 के अंतर्गत बयान में यदि समय लग रहा है या देरी हो रही है, तो ऐसे विलंब को केस डायरी में अंकित करें।
- बयान में हुए विलंब के कारणों की एक प्रति मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करायें।
- दंड प्रक्रिया संहिता, की धारा 164 के अंतर्गत बयान से पहले मजिस्ट्रेट को मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।
- केस में हुई प्रगति के संबंध में बाल कल्याण समिति व विशेष न्यायालय अथवा सेशन न्यायालय (जहां विशेष न्यायालय न हो) को 24 घंटे में सूचित करें।
- पीड़ित बालक/बालिका व उसके माता पिता अथवा संरक्षक अथवा अभिभावक, सहायक व्यक्ति या जिस पर पीड़ित बालक/बालिका का विश्वास हो, को निम्नलिखित सूचनायें प्रदान की जायेंगी–
  1. अभियुक्त की गिरफ्तारी की स्थिति
  2. अभियोजन का प्रक्रियात्मक विवरण
  3. पीड़ित छतिपूर्ति योजना की उपलब्धता
  4. विवेचना की स्थिति (केवल उतना ही जिससे विवेचना प्रभावित न हो)
  5. चार्ज शीट फाइल करने की स्थिति
  6. कोर्ट शिडयूल की जानकारी इत्यादि

4.10 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराध व दंड के प्रावधान

धारा 3, 4	प्रवेशन लैंगिक हमला – कम से कम सात वर्ष जिसे आजीवन कारावास और जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है
धारा 5, 6	गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला – कम से कम दस वर्ष जिसे आजीवन कारावास और जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है
धारा 7, 8	लैंगिक हमला – कम से कम तीन वर्ष जिसे पाँच वर्षों और जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है
धारा 9, 10	गुरूतर लैंगिक हमला – कम से कम 5 वर्ष जिसे 7 वर्षों और जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है
धारा 11, 12	बच्चे का यौन शोषण – तीन वर्ष और जुर्माना
धारा 13, 14	अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चे का उपयोग – पांच वर्ष और जुर्माना तथा अनुवर्ती दोष सिद्ध होने पर सात वर्ष और जुर्माना
धारा 15	कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए किसी अश्लील सामग्री का भंडारण करेगा– तीन वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों
धारा 16, 17	उपरोक्त किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, उकसाता है, षडयंत्र रचता है, शामिल होता है– वही दंड होगा जो उस अपराध हेतु अधिनियम में दिया गया है।
धारा 18	जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा या किसी अपराध को करवायेगा– आजीवन कारावास के आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास से जिसकी अवधि दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

अध्याय–5

देखरेख एवं संरक्षण की स्थिति वाले बालकों हेतु प्रक्रिया

5.1 थाने स्तर पर प्रक्रिया

- पुलिस अधिकारी द्वारा देखभाल व संरक्षण की स्थितियों में प्राप्त बालक को थाने के सी0डब्लू0पी0ओ0 (बाल कल्याण पुलिस अधिकारी) अथवा नजदीकी एस0जे0पी0यू0 (विशेष किशोर पुलिस इकाई) के सुपुर्द करना। (धारा–32)
- सी0डब्ल्यू0पी0ओ0 / एस0जे0पी0यू0 द्वारा बालक / बालिका का संज्ञान लिया जायेगा व उसकी सर्वप्रथम मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जायेगा। (आकस्मिक उपचार, खाना, कपड़े, प्रसाधन, पीने हेतु पानी आदि)
- बालक से बात करते समय जहां तक संभव हो सादे वस्त्रों में रहें।
- बालक से बातचीत कर उसके घर की पुष्टि करें व आवश्यक पड़ने पर परिवार से संपर्क करने हेतु स्थानीय थाने की सहायता लें।
- प्राप्त हुए बच्चों की विस्तृत जानकारी जी0डी0 इन्ट्री में दर्ज करें।
- सभी आसपास के या संभावित क्षेत्रों में तुरंत वायरलेस के माध्यम से बच्चे के प्राप्त होने की सूचना प्रसारित करें।
- यदि बालक की उम्र 2 वर्ष से कम है व वह अस्वस्थ है तो उसे पहले उपचार दिलाया जाये व उसकी सूचना बाल कल्याण समिति को फोटो सहित लिखित रूप में भेजें व उसके स्वस्थ होने पर प्रमाण पत्रों के साथ बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें । (नियम–18)

बाल कल्याण समिति के समक्ष इनमें से किसी के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है:–

- **पुलिस / विशेष किशोर पुलिस इकाई**
- **बाल कल्याण पुलिस अधिकारी**
- **लोक सेवक / सरकारी कर्मचारी**
- **चाइल्ड लाइन / समाजसेवी संगठन**
- **कोई भी समाजसेवी**
- **बच्चा स्वयं**
- **बच्चे के माता पिता**

- आवश्यकता अनुसार बालक को दुभाषिये, विशेष शिक्षक, उपयुक्त चिकित्सा या कोई अन्य सहायता उपलब्ध करायेगा।
- किसी भी बच्चे के गुमशुदा होने की जानकारी पर पुलिस तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में तस्करी की भी संभावना देखते हुए धारा 370 / 370ए का भी प्रयोग करें। किशोर न्याय नियमावली 2016 के नियम–92 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उसकी एक प्रति विशेष किशोर पुलिस ईकाई को प्रेषित करेगी।
- विशेष किशोर पुलिस ईकाई / पुलिस गुमशुदा बच्चे की फोटो प्राप्त कर www.trackthemissingchild.gov.in पर अपलोड करेगी व हर संभव स्थान पर प्रचार प्रसार कर बच्चे को खोजेगी।
- यदि 4 माह के भीतर ऐसे बच्चों का पता नहीं लगाया जा सकेगा, ऐसी स्थिति में ये मामले ए0एच0टी0यू0 को हस्तांतरित किये जायेंगें।
- ऐसे बच्चों के मिलने पर उनके पुर्नवास व पुर्नवापसी के किये जा रहे अपने प्रयासों को करते हुए इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि बच्चे का सर्वोत्तम हित क्या है।

5.2 बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना

- देखभाल व संरक्षण की स्थितियों में प्राप्त बालकों को 24 घंटों के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष **प्रारूप 17** (संलग्नक) के साथ प्रस्तुत करें। (धारा–31 व नियम–18)
- समिति का कम से कम एक सदस्य किसी मामले का संज्ञान लेने के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा और ऐसे सदस्य द्वारा आवश्यक निर्देश जिले के विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को दिए जाएंगे।
- इस प्रयोजन के लिए समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्यों का मासिक ड्यूटी रोस्टर तैयार करेगा, जो कि रविवार और छुट्टी के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध रहेंगे।
- यह रोस्टर सभी पुलिस थानों, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाई और विशेष किशोर पुलिस इकाई को परिचालित किया जाएगा।
- देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक या बालकों की सूचना मिलने पर, यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि बालक अथवा बालकों को समिति के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता, समिति, बालक अथवा बालकों तक पहुंचने के लिए स्वतः जाएगी और ऐसे बालक अथवा बालकों हेतु सुविधाजनक स्थान पर अपनी बैठक आयोजित करेगी।

5.3 संरक्षक से पृथक पाये गये बालक के बारे में अनिवार्य रिपोर्टिंग

- यदि ऐसे बच्चों के संबंध में कोई सूचना पुलिस को मिलती है या ऐसा बच्चा पाया जाता है, तो तुरंत इसकी सूचना जिले की बाल कल्याण समिति को देना। इस श्रेणी में कोई भी बालक जो त्यागे हुए/लावारिस नवजात शिशुओं/बालक/बालिका जो बिना किसी संरक्षक के मिले हैं, आदि शामिल हैं। (धारा–32)
- यदि ऐसे बच्चों के संबंध में कोई सूचना निर्धारित अवधि के भीतर नही दी जाती है तो इसे अपराध माना जायेगा तथा इसके अंर्तगत 6 माह की सजा या 10,000 तक का जुर्माना या दोनो हो सकते हैं। (धारा–33 व 34)
- यदि बालक अस्वस्थ है तो बालक को नजदीकी अस्पताल में दिखाकर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना।
- बच्चे के माता पिता को खोजने का प्रयास करना व बाल कल्याण समिति को किये गये प्रयासों से अवगत कराना।
- किसी भी बच्चे को सीधे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दत्तक में न दें। किसी व्यक्ति को बिना दत्तक प्रक्रिया के बगैर बच्चे को देना किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 80 के अंतर्गत भी एक दंडनीय अपराध है।

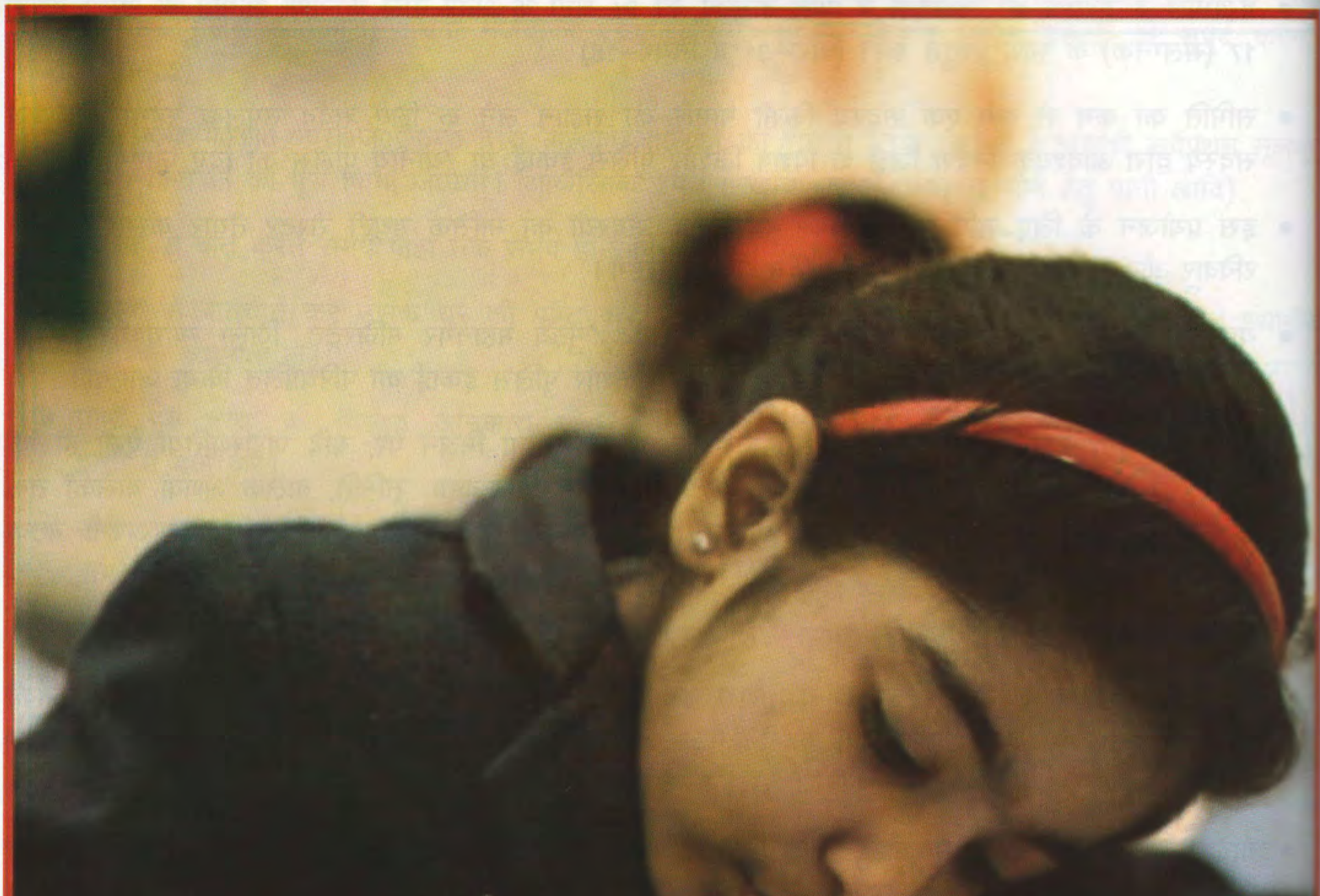

अध्याय–6

किशोर न्याय बोर्ड (JJB)

6.1 किशोर न्याय बोर्ड

- राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या अधिक किशोर न्याय बोर्डों को, इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जा चुका है।

- बोर्ड एक ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न हो, जिनके पास कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो और दो ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर बनेगा जिनका चयन ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए और उनमें से कम से कम एक महिला होगी। यह एक न्यायपीठ का रूप लेगा और ऐसी न्यायपीठ को वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) द्वारा, यथास्थिति, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त की गई हैं। (धारा–4)

6.2 बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया

- बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रक्रियाएं बाल हितैषी हों और यह कि वह स्थान बालक को असहज करने वाला अथवा नियमित न्यायालय के समान न हो।

- विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को बोर्ड के, जब बोर्ड की कोई बैठक न हो, किसी एक सदस्य के समक्ष पेश किया जा सकेगा।

- बोर्ड, बोर्ड के किसी सदस्य के अनुपस्थित होते हुए भी कार्य कर सकेगा और बोर्ड द्वारा पारित कोई भी आदेश कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम के दौरान केवल किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगा।

- परन्तु मामले के अंतिम निपटारे के समय कोई आदेश करने में कम से कम दो सदस्य, जिसके अंतर्गत प्रधान मजिस्ट्रेट भी है, उपस्थित रहेंगे।

- बोर्ड के सदस्यों के बीच अंतरिम या अंतिम निपटारे में कोई मतभेद होने की दशा में, बहुमत की राय अभिभावी होगी, किन्तु जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां प्रधान मजिस्ट्रेट की राय अभिभावी होगी।

6.3 विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बोर्ड द्वारा जांच

- जहां विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित बालक, बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है, वहां बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जांच करेगा और ऐसे बालक के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह इस अधिनियम के अधीन ठीक समझे।

- इस धारा के अधीन कोई जांच, बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर, जब तक कि बोर्ड द्वारा, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे विस्तारण के लिए लिखित में कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् दो और मास की अधिकतम अवधि के लिए उक्त अवधि विस्तारित नहीं की गई हो, पूरी की जाएगी।

- बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों की दशा में प्रारंभिक निर्धारण, बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

- यदि बोर्ड द्वारा, छोटे अपराधों के अधीन जांच, विस्तारित अवधि के पश्चात् भी अनिर्णायक रहती है तो कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी।
- परंतु घोर या जघन्य अपराधों के लिए यदि बोर्ड, जांच पूरी करने के लिए समय और बढ़ाने की अपेक्षा करता है तो, यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उसे प्रदान करेगा।

बोर्ड, निष्पक्ष और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा

- जांच प्रारंभ करते समय, बोर्ड अपना यह समाधान करेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से पुलिस द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई दुर्व्यवहार तो नहीं किया गया है तथा यदि किया गया है तो ऐसे दुर्व्यवहार के मामले में सुधारात्मक उपाय करेगा।
- अधिनियम के अधीन सभी मामलों में कार्यवाहियां यथासंभव साधारण रीति से की जाएंगी और यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाएगी कि ऐसे बालक को, जिसके विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं, कार्यवाहियों के दौरान बाल अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाया जाए।
- बोर्ड के समक्ष लाए गए प्रत्येक बालक को जांच में सुनवाई का और भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

छोटे अपराध वाले मामलों का निपटाराः–

- छोटे अपराध वाले मामलों का निपटारा बोर्ड द्वारा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड द्वारा संक्षिप्त कार्यवाहियों के माध्यम से किया जाएगा।

घोर/गम्भीर अपराध वाले मामलों का निपटाराः–

- बोर्ड द्वारा घोर अपराधों की जांच का निपटारा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए किया जाएगा।

जघन्य अपराध वाले मामलों का निपटाराः–

- अपराध किए जाने की तारीख को सोलह वर्ष से कम आयु के बालक के संबंध में जघन्य अपराधों की जांच दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अधीन बोर्ड द्वारा निपटाई जाएगी; और
- अपराध किए जाने की तारीख को सोलह वर्ष से अधिक आयु के बालक के संबंध में जघन्य अपराधों की जांच प्रारंभिक निर्धारण (धारा–15) के अधीन विहित रीति से की जाएगी।

6.4 जांच के दौरान बालक न रह जाने पर प्रक्रिया (धारा–5)

जहां किसी बालक के संबंध में इस अधिनियम के अधीन जांच आरंभ कर दी गई है और ऐसी जांच के दौरान वह बालक अठारह वर्ष की आयु पूरी कर लेता है वहां, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जांच बोर्ड द्वारा जारी रखी जा सकेगी और उस व्यक्ति के विरूद्ध आदेश इस रूप में पारित किए जा सकेंगे मानो ऐसा व्यक्ति अभी भी बालक है।

अध्याय–7

बाल कल्याण समिति (CWC)

7.1 बाल कल्याण समिति की संरचना

- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए इस अधिनियम के अधीन देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक के संबंध में एक या अधिक बाल कल्याण समितियों का, ऐसी समितियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये गठन करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि समिति के सभी सदस्यों के अधिष्ठापन, प्रशिक्षण और अति संवेदनशीलता की, अधिसूचना की तारीख से दो मास के भीतर व्यवस्था की जाए।
- समिति, एक अध्यक्ष और चार ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे और उनमें से कम से कम एक महिला होगी ओर दूसरा अन्य, बालकों से संबंधित विशेषज्ञ होगी।
- समिति न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगी और उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) द्वारा, यथास्थिति, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियां प्राप्त होंगी।
- उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है।

7.2 बाल कल्याण समिति के संबंध में प्रक्रिया

- समिति, एक मास में कम से कम बीस बैठकें करेगी और अपनी बैठकों में ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगी, जो विहित की जाएं।
- समिति द्वारा, किसी विद्यमान बाल देखरेख संस्था का, उसके कार्य की जांच पड़ताल करने और बालकों की भलाई के लिए किया गया दौरा समिति की बैठक के रूप में माना जाएगा।
- देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक को बाल गृह में या उपयुक्त व्यक्ति के पास रखे जाने के लिए, जब समिति सत्र में न हो, समिति के किसी एक सदस्य के सामने पेश किया जा सकेगा।
- किसी विनिश्चय के समय समिति के सदस्यों के बीच राय की किसी भिन्नता की दशा में, बहुमत की राय अभिभावी होगी, किंतु जहां ऐसा बहुमत नहीं है वहां अध्यक्ष की राय अभिभावी होगी।
- समिति, समिति के किसी सदस्य के अनुपस्थिति रहते हुए भी कार्यवाई कर सकेगी और समिति द्वारा किया गया कोई आदेश, कार्यवाही के किसी प्रक्रम के दौरान केवल किसी सदस्य की अनुपस्थिति के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा:
- परंतु मामले के अंतिम निपटान के समय कम से कम तीन सदस्य उपस्थित होंगे।

अध्याय–8

जे0जे0 एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण विविध प्रावधान

8.1 बालक की आयु निर्धारण हेतु प्रक्रिया (धारा–94)

1. जहां बोर्ड या समिति को, इस अधिनियम के अधीन (साक्ष्य देने के प्रयोजन से भिन्न) उसके समक्ष लाये गये व्यक्ति को देखने के (on appearance) आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त व्यक्ति बालक है तो समिति या बोर्ड बालक की नजदीकी आयु का कथन करते हुए ऐसे आबजरवेशन (Observation) को अभिलिखित करेगा और आयु की अग्रिम पुष्टि की प्रतीक्षा किये बिना, यथास्थिति, धारा 14 या धारा 36 के अधीन जांच करेगा।

2. यदि बोर्ड या समिति के पास इस संबंध में संदेह होने के युक्तियुक्त आधार हैं, कि क्या उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है कि नहीं, तो यथास्थिति समिति या बोर्ड द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक विधि से संघर्षरत बच्चे अथवा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे की उम्र निर्धारण हेतु निम्न चरणबद्ध साक्ष्य प्रक्रिया अपनाई जायेगी–

   क. विद्यालय से बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं या समकक्ष कक्षा का प्रमाण–पत्र और उसके अभाव में,

   ख. पंचायत या नगर निगम या नगरपालिका द्वारा जारी जन्म प्रमाण–पत्र।

   ग. उपरोक्त (क) और (ख) के अभाव में बोर्ड/समिति के आदेश से की गई अस्थि जांच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जांच के आधार पर किया जायेगा।

   परंतु समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई ऐसी आयु अवधारण जांच ऐसे आदेश के 15 दिवस के अन्दर पूरी की जायेगी।

3. समिति या बोर्ड द्वारा बालक की आयु इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उसकी सही आयु समझी जायेगी।

8.2 बालक को रात भर आश्रय देने हेतु प्रक्रिया (नियम–69(घ))

दोनों श्रेणी (विधि का उल्लंघन व देखरेख व संरक्षण की श्रेणी) के बालकों हेतु

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बालक को रात भर के लिये सुरक्षित आश्रय में भेजने हेतु बालकों की देख–रेख संस्था में लिखित आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ उन परिस्थितियों को जिनमें बालक को पकड़ा या पाया गया है, बालक की चिकित्सा स्थिति दर्शाने वाले सुसंगत दस्तावेजों की प्रति भी होगी।

- उक्त आवेदन पर बालक को संस्था में एक रात के आवास की अनुमति दी जायेगी, ऐसा आवास रात के 8 बजे के बाद और अगले दिन 2 बजे तक हो सकता है।
- आवेदन पर संतुष्ट होने पर प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा **प्रारूप–42** तीन प्रतियों में भरा जायेगा और बालक को प्राप्त किया जायेगा। प्रारूप की एक प्रति बाल देख–रेख संस्था के अभिलेख के रूप में रखी जायेगी, एक प्रति बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को दी जायेगी और तीसरी प्रति बोर्ड या संबंधित समिति को उनके अभिलेखों के लिये भेजी जायेगी।
- बालक को अगले दिन प्रारूप में दिये गये समय पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार में सौंप दिया जायेगा।

- यदि बाल कल्याण पुलिस अधिकारी दिये गये समय पर बालक का प्रभार नहीं लेता है, तो बाल देख–रेख संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा ऐसे तथ्यों का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट के साथ बालक को सबंधित बोर्ड या समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- बालक की शारीरिक रूप से तलाशी ली जायेगी और उसका सभी व्यक्तिगत सामान, यदि कोई पाया जाता है तो, उसे लाने वाले बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंप दिया जायेगा और वह सभी वस्तुओं का अभिग्रहण करेगा और ऐसे अभिग्रहण की एक प्रति प्राप्तकर्ता अधिकारी को भी देगा।

8.3 रिपोर्टों को गोपनीय रखने हेतु प्रावधान (धारा–99)

बालक से संबंधित सभी रिपोर्टें, जिन पर समिति या बोर्ड द्वारा विचार किया गया है, गोपनीय मानी जायेंगी– परंतु समिति या बोर्ड के आदेश पर संबंधित संस्था/विभाग/इकाई से साझा की जायेंगी।

8.4 सदभावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण (धारा–100)

इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई कार्यवाही या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या यथास्थिति के निर्देशों के अधीन कार्यवाही करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध नहीं होगी।

8.5 थानों पर बाल सहायक स्थान/कमरे हेतु प्रावधान

पुलिस स्टेशन में बच्चों के आने पर अथवा प्राप्त होने पर वहां ऐसी जगह हो, जहां बच्चे कुछ घंटे/समय आराम से रूक सकें। इसके लिए आवश्यक है कि निम्न बातों को ध्यान में रखा जाये:–

- स्थान अथवा कमरा ऐसे स्थान पर हो जहां आसानी से बालक का सामना अपराधी/अभियुक्त से न हो।
- स्थान/कमरे में बच्चों से सम्बंधित मूलभूत सुविधाओं (भोजन, पानी, कपड़े व शौचालय) की व्यवस्था हो।
- कमरे/स्थान की दीवारों पर बच्चों हेतु उपयोगी चित्र/जानकारी/प्रदर्शनी हो, जिसमे उन्हें ये न लगे कि वो थाने में है।
- बच्चों हेतु आकस्मिक चोट/उपचार हेतु फर्स्ट एड बाक्स/चिकित्सा सहायता की सुविधा हो।
- बाल मित्र माहौल तैयार करना, जहां स्वच्छ और साफ–सुथरा वातावरण हो, बच्चों को प्रेम व स्नेह मिलें क्योंकि ज्यादातर बच्चें सदमें में होते हैं।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का बच्चों के मामलों में प्रशिक्षित होना। बालिकाओं से पेश आने हेतु महिला बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सी0डब्ल्यू0पी0ओ0) की उपलब्धता।
- बच्चे के मिलने या उसका पता लगाने हेतु सूचना देने के लिए वायरलेस का इस्तेमाल।
- बच्चों का अलग रजिस्टर रखना, जिसमें विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों का विवरण पृथक रूप से लिखा जाये।

- विभिन्न विभागों, बोर्ड, समिति की जानकारी हेतु रिर्सोस डायरेक्ट्री तैयार करना व समन्वय स्थापित करना। बच्चों संबंधी फारमैट की कापी रखना।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सी0डब्ल्यू0पी0ओ0) द्वारा मामलों की मासिक समीक्षा बैठक में प्रतिभाग।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई से डाटा साझा करना।

सभी पुलिस थानों में दर्शायी जाने वाली मुख्य सूचनायें

- विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्यों का सम्पर्क विवरण।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की सूची और उनके सम्पर्क विवरण।
- बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट और सदस्यों का सम्पर्क विवरण।
- बाल कल्याण समिति के चेयरपर्सन व सदस्यों का सम्पर्क विवरण।
- चाइल्डलाइन सेवा का सम्पर्क विवरण।
- बाल कल्याण अधिकारी का सम्पर्क विवरण।
- परिवीक्षा अधिकारी का सम्पर्क विवरण।
- अर्ध विधिक स्वंयसेवियों (Para-legal volunteers) का सम्पर्क विवरण।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सम्पर्क विवरण।
- पंजीकृत स्वैच्छिक और गैर–सरकारी संगठनों का सम्पर्क विवरण।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्नः 1

क्या सिर्फ जी0डी0 इन्ट्री के आधार पर पुलिस द्वारा विवेचना व जांच की जा सकती है, यदि हां तो आधार क्या होगा? क्योंकि बिना एफ0आई0आर0 के सी0सी0टी0एन0एस0 में इन्ट्री नहीं होती है, जांच अधिकारी नियुक्त नहीं होता है?

उत्तरः

- जी०डी० एंट्री के आधार पर प्रारंभिक जांच की जा सकती है, यद्यपि विवेचना के लिए एफ०आई०आर० अनिवार्य है। किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 के नियम 8 (1) के अनुसार बच्चों द्वारा किये गए जघन्य अपराधों (Heinous offencè) में तथा जहाँ ऐसे अपराध में कोई वयस्क भी शामिल है, को छोड़ कर अन्य किसी अपराध में एफ०आई०आर० दर्ज नहीं की जाएगी, छुद्र (Petty) तथा गंभीर (Serious) अपराधों में पुलिस द्वारा मात्र जी०डी० एंट्री की जाएगी।
- किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत जाँच अधिकारी की अलग से नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है क्यूँ कि किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 के नियम 8 (2) के अनुसार, विधि के उल्लंघन वाले बालक को अपनी अभिरक्षा में लेने के बाद पुलिस का यह कर्तव्य है कि ऐसे बालक को अविलम्ब विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस०जे०पी०यू०) अथवा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के सुपुर्द करे, चाहे एफ०आई०आर० हुई हो अथवा मात्र जी०डी० एंट्री, ऐसे बालक के मामले में आगे की कार्यवाही बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जाएगी।
- किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 के नियम 10 (5) के अंतर्गत, जघन्य अपराधों के मामलों में चूँकि एफ०आई० आर० दर्ज हुई है, अतः बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज गवाहों के बयान तथा विवेचना के दौरान तैयार किये गए अन्य दस्तावेज (जिसमे चार्जशीट भी शामिल है) किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष 1 माह में (बालक को पहली बार किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के दिन से) प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु प्रत्येक मामले में चाहे एफ०आई०आर० हुई हो या मात्र जी०डी० एंट्री, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से Form-1 में बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि आख्या (Social Background Report) किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

प्रश्नः 2

यदि किसी मामले में किशोर के पकड़े जाने पर उसके पास से चोरी के मोबाइल व तमंचा बरामद होता है तो मामले के निस्तारण, माल के निस्तारण, माल का मालिकाना हक हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी, और यदि मामले में किशोर और व्यस्क दोनों सम्मिलित हैं तो क्या कार्यवाही होगी?

उत्तरः

- किशोर के पास से बरामद माल के निस्तारण की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत विहित प्रक्रिया ही होगी (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अध्याय XXXIV; धारा 451–459).
- यह ध्यान रखने योग्य है कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 14 (5) (d), (e), (f) के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष जाँच की कार्यवाई (inquiry) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी तथा धारा 4 (2) के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सभी शक्तियां प्राप्त हैं।

- यदि अपराध में बालक तथा वयस्क दोनों शामिल हैं तो माल के निस्तारण हेतु न्यायालय तथा किशोर न्याय बोर्ड दोनों सक्षम होंगे।

प्रश्न 3

क्या किसी विधि विरूद्ध बालक को थाने से बिना कोई कार्यवाही के छोड़ा जा सकता है?

उत्तर:

विधि विरुद्ध बालक के मामले में पुलिस को बेल (Bail) देने का अधिकार है चाहे अपराध जमानती हो या गैर–जमानती, परन्तु, यदि पुलिस को किसी बालक द्वारा अपराध कारित करने की सूचना मिलती है, तो सूचना के आधार पर समुचित कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है, पुलिस को ऐसे बालक को बिना किसी कार्यवाही के छोड़ देने का अधिकार नहीं है।

प्रश्न 4

क्या बालक पर उ0प्र0 गैंगस्टर और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण एक्ट, 1986 लगाया जा सकता है?

उत्तर:

किशोर/बालक पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के विषय में विधिक स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। यद्यपि किशोरों/बालकों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जा रहा है परन्तु ऐसा करना किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत उचित प्रतीत नहीं होता। चूँकि, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अपराध जघन्य अपराधों (Heinous Offences) की कोटि में नहीं आते, अतः किसी भी किशोर/बालक पर गैंगस्टर एक्ट में एफ०आई०आर० दर्ज नहीं हो सकती।

इसके अतिरिक्त, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही के लिए यह अनिवार्य है कि व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व में अन्य अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, के अंतर्गत कार्यवाही की गयी हो, उदाहरण के लिए व्यक्ति पर समूह में (गैंग बना कर) अपराध करने का अभियोग होना चाहिए क्यूँ कि चार्जशीट के साथ गैंगचार्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह भी साक्ष्य होने चाहिए की व्यक्ति पर पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, की धारा 107/108/109/110 के अंतर्गत कार्यवाई की गयी हो अथवा किसी निरोधक कानून में निरुद्ध किया गया हो। अब चूकिं, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 22 के अनुसार किशोर/बालक के विरुद्ध ये कार्यवाई नहीं की जा सकती, अतः गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाई भी नहीं होगी।

Rishabh Awasthi v- State of U-P- and Ors. 2017 (98) ALLCC 479 (Criminal Misc- Writ Petition No- 20788 of 2016) के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने ये कहा है कि किशोरावस्था में किये गए किसी अपराध के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाई नहीं की जा सकती।

उपयुक्त विषय में, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की जुवेनाइल जस्टिस कमेंटी द्वारा दिनांक 18.12.2014 की मीटिंग में पुलिस को निर्देशित किया गया कि बालकों के विरूद्ध अपराधों के प्रकरणों में उनके विरूद्ध किसी भी दशा में गैगेस्टर अधिनियम के अर्न्तगत कार्यवाही न किया जाए (पत्रांक संख्याः ए0डी0जी0–02/2015, दिनांक 28 जनवरी, 2015, अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), उत्तर प्रदेश।

प्रश्नः 5

क्या किसी संदिग्ध किशोर की तलाशी व उसके घर की तलाशी ली जा सकती है?

उत्तरः

किसी संदिग्ध बालक/किशोर की तलाशी अथवा उसके घर की तलाशी लिए जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, तलाशी से सम्बंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधान लागू होंगे। तलाशी के दौरान पुलिस अथवा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बल प्रयोग या अभद्रता किया जाना किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 75 के अंतर्गत अपराध है।

प्रश्नः 6

यदि कोई बालक जांच की प्रक्रिया के दौरान 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का हो जाता है तो उससे क्या व्यस्क की तरह पेश आया जायेगा?

उत्तरः

नहीं, जहां किसी बालक के संबंध में इस अधिनियम के अधीन जांच आरंभ कर दी गई है और ऐसी जांच के दौरान वह बालक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है वहां बोर्ड द्वारा उसे बालक मानकर ही कार्यवाही की जायेगी। उससे व्यस्क की तरह नहीं पेश आया जायेगा।

प्रश्नः 7

यदि कोई व्यक्ति को एक अपराध करने के लिए पकड़ा जाता है जो उसने 18 वर्ष से कम उम्र में किया था, तो क्या प्रक्रिया क्या होगी? उसे कहां रखा जायेगा?

उत्तरः

ऐसा कोई व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और उसे उस समय जब वह 18 वर्ष से कम आयु का था, किसी अपराध को करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुरूप ही कार्यवाही की जायेगी व उसे बालक समझा जायेगा। यदि बोर्ड द्वारा उसे जमानत पर छोड़ा नहीं जाता है, तो उसे जांच के दौरान सुरक्षित स्थान (देंखे परिभाषायें) पर रखा जायेगा।

प्रश्नः 8

सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट (Social Background report) व सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (Social Investigation report) में क्या अंतर है?

उत्तरः

सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट को पुलिस/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है जबकि सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट बोर्ड में बालक को प्रस्तुत करने के उपरांत बोर्ड द्वारा आदेशित बाल कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा भरा जायेगा।

प्रश्नः 9

'बाल कल्याण पुलिस अधिकारी' व 'बाल कल्याण अधिकारी' क्या एक ही व्यक्ति है?

उत्तरः

नहीं, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, थाने स्तर का वह अधिकारी है जो बच्चों के प्रत्येक मामले को देखेगा, जबकि बाल कल्याण अधिकारी महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रय गृहों/बाल गृहों/संप्रेक्षण गृहों में जुड़ा अधिकारी, जो समिति अथवा बोर्ड द्वारा दिये गये आदेशों पर बच्चों के पुर्नवास हेतु कार्य करेगा।

प्रश्नः 10

जिन मामलों में एफ0आई0आर0 दर्ज है, क्या उनमें भी बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट (प्रपत्र–1) भरी जायेगी?

उत्तरः

हां, सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, विधि के उल्लंघन करने वाले प्रत्येक मामले में भरी जायेगी। जिसके लिए एस0जे0पी0यू0/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बालक के माता पिता या संरक्षक से संपर्क करना आवश्यक होगा। (कि.न्या. निय. 2016,नियम–8(5))

प्रश्नः 11

यदि 7 वर्ष से छोटे बालक द्वारा कोई कृत्य किया जाता है जो अपराध की श्रेणी में आता है तो क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी?

उत्तरः

सात वर्ष उम्र से कम किसी भी बालक/बालिका के द्वारा किया गया कोई भी कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आयेगा।[6] ऐसा प्रकरण आने पर बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रपत्र–17 को भरकर प्रस्तुत करें।

प्रश्नः 12

यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु का बालक, दूसरे बालक के प्रति अपराध कारित करता है?

उत्तरः

विधि का उल्लंघन किये हुए बालक पर उपयुक्त आई0पी0सी0 व किशोर न्याय अधिनियम 2015 की संबंधित धाराओं का उपयोग करते हुए बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा व जिसके प्रति अपराध कारित किया गया है, यदि वह देखरेख व संरक्षण की श्रेणी में आता है तो बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक व पीड़ित हेतु अग्रिम कार्यवाही भा0द0प्र0सं0 व किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार की जायेगी।

---

[6] धारा 82, भारतीय दंड संहिता, 1860

प्रश्नः 13

यदि किसी बालक को दूरदराज या बेवक्त प्राप्त करने पर, बोर्ड अथवा समिति के किसी एक सदस्य तक न पहुंच पाने की दशा में कोई संप्रेक्षण/बाल गृह बालक को रात्रि आश्रय देने से मना करता है, तो क्या प्रक्रिया होगी?

उत्तरः

सर्वप्रथम बालक को किसी बाल गृह/संप्रेक्षण में रात्रि को आश्रय दिलाने हेतु अधीक्षक के नाम एक आवेदन दिया जाता है व बालक की चिकित्सीय रिपोर्ट संलग्न कर गृह के प्राप्तकर्ता को देना चाहिए, जो कि अधिनियम के नियमावली के नियम 69(घ) के अनुसार प्रपत्र 42 तीन प्रतियों में भरकर आगे की कार्यवाही करेगा।

- यदि कोई गृह बालक को रात्रि में रखने से मना करता है तो संबंधित जिला प्रोबेशन अधिकारी से संपर्क कर सूचना दें। गृह द्वारा मना करना कि0न्या0 अधिनियम का उल्लंघन है व उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।
- अधिनियम के क्रियान्वयन की मानीटरिंग की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की होगी जो अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन की उस रीति से मानीटरी करेंगें, जैसा विहित किया जाये। (धारा–109)

प्रश्नः 14

क्या जे0जे0 एक्ट–2015 से सम्बंधित दंड की धाराओं का प्रयोग सिर्फ बालकों पर ही किया जा सकता है?

उत्तरः

जे0जे0 एक्ट–2015 से सम्बंधित दंड की धाराओं का प्रयोग बालकों व व्यस्कों, दोनों पर ही किया जा सकता है।

केस स्टडी व प्रक्रियात्मक उदाहरण

केस स्टडी–1

शाम को 4 बजे आपके थाने में एक शिकायत आई है, कि कुछ बच्चों ने शराब पीकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी है, आप मौके पर जाते हैं और उन बच्चों को लेकर थाने वापस आते हैं। सारी कार्यवाही करते करते शाम के छः बज जाते हैं। किशोर न्याय बोर्ड को अगले दिन 10 बजे खुलना है।

आप इस हालात में क्या करेंगे?

- चूँकि हत्या का अपराध है अतः एफ0आई0आर0 दर्ज की जाएगी।
- हत्या का अपराध किया गया है अतः बच्चों को निरुद्ध किया जायेगा।
- पुलिस द्वारा निरुद्ध बच्चों को एस0जे0पी0यू0 या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार में दिया जायेगा।
- एस0जे0पी0यू0 या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बालकों के माता–पिता, अभिभावक, परिवीक्षा अधिकारी तथा बाल कल्याण अधिकारी/केस वर्कर को बालकों के निरुद्ध होने की सूचना दी जाएगी।
- बच्चों से नियम 8 (3) के प्रावधानों के अंतर्गत व्यवहार किया जायेगा जैसे किः–
  1. बच्चों को पुलिस LOCK-UP में नहीं रखा जायेगा।
  2. निरुद्ध बालकों को हथकड़ी नहीं लगायी जाएगी न ही जंजीर इत्यादि का प्रयोग किया जायेगा।
  3. बालकों को किसी प्रकार की प्रताड़ना या उनके विरुद्ध बल–प्रयोग नहीं किया जायेगा।
  4. बच्चों को उनके ऊपर लगे हुए आरोपों की, उनके माता–पिता अथवा अभिभावकों के माध्यम से तुरंत जानकारी दी जाएगी, साथ ही साथ एफ0आई0आर0 की एक प्रति बच्चों/माता–पिता/अभिभावकों को निःशुल्क दी जाएगी।
  5. यदि बच्चों को चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता है तो ऐसी सहायता उपलब्ध करायी जाएगी, साथ ही साथ, दुभाषिये, विशेष शिक्षक या अन्य किसी सहायता की आवश्यकता होने पर उपलब्ध कराया जायेगा।
  6. बच्चों को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए विवश नहीं किया जायेगा।
  7. बच्चों से पूछ–ताछ एस0जे0पी0यू0 या थाने में एक सही स्थान पर ही की जानी चाहिए जिससे बच्चे को सहज किया जा सके।
  8. बच्चों के माता–पिता या अभिभावक पूछ–ताछ के समय उपस्थित रह सकते हैं।
  9. बच्चों से किसी भी बयान पर हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान नहीं लिया जायेगा।
  10. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बच्चों को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु सूचित किया जायेगा।
- एस0जे0पी0यू0 या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चों के आयु निर्धारण की कार्यवाही धारा 94 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
- एस0जे0पी0यू0 या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा प्रत्येक बच्चे के लिए अलग–अलग फार्म–1 में सामाजिक पृष्ठभूमि आख्या (SOCIAL BACKGROUND REPORT) भरी जाएगी।
- बोर्ड अगर बैठक में नहीं है तो बोर्ड के किसी एक सदस्य के समक्ष बालक को प्रस्तुत किया जा सकता है। (धारा–7(2) व नियम 9 (5))
- यदि बेवक्त या दूरदराज के स्थान पर पकड़े जाने के कारण बोर्ड या बोर्ड के किसी सदस्य तक पहुंचना संभव न हो, तो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी इन नियमों के नियम 69(घ) के अनुसार उस बालक को संप्रेक्षण गृह

या किसी उपयुक्त सुविधा में रखेगा और उसके बाद 24 घंटे के भीतर उस बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। (नियम 9 (6))

- बोर्ड के किसी एक सदस्य के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने के समय प्राप्त आदेश का अनुसमर्थन बोर्ड की आगामी बैठक में करने की आवश्यकता होगी। (नियम 9 (7))

केस स्टडी–2

आपके थाने में एक चोरी का मामला दर्ज होता है, अगले चार महीनों तक चोर का पता नहीं चलता। जब चोर का पता चलता है और उसे पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, तब पता चलता है कि चोरी करने वाला 15 साल का बालक है। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार इस मामले में विवेचना पूरी करने और चालान (अंतिम रिपोर्ट) जमा करने की दो माह की समय सीमा पहले ही निकल चुकी है।

आप इस मामले में आगे क्या कार्यवाही करेंगे?

- चूँकि प्रारंभ में यह ज्ञात नहीं है कि चोरी का अपराध किसी बालक ने कारित किया है अतः एफ0आई0आर0 दर्ज की जाएगी एवं विवेचना प्रारंभ की जाएगी।
- चार महीने बाद यह पता चलने पर कि चोरी करने वाला 15 वर्ष का बालक है, इस तथ्य की जी0डी0 एंट्री की जाएगी।
- चूँकि, चोरी का अपराध छोटे–मोटे अपराधों (Petty Offences) की श्रेणी में आता है, अतः बालक को निरुद्ध नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसा किया जाना उसके सर्वोत्तम हित में न हो।
- यदि बालक को निरुद्ध नहीं किया जाता तो उसको उसके माता–पिता या अभिभावक के प्रभार में दिया जायेगा।
- माता–पिता / अभिभावक से फार्म–2 में यह अंडरटेकिंग ली जाएगी कि बालक को नियत तिथि, समय एवं स्थान पर बोर्ड के समक्ष उपस्थित करें।

यद्यपि, छोटे–मोटे अपराधों के मामले में अंतिम रिपोर्ट दो माह के भीतर दाखिल करनी होती है परन्तु, यहाँ दो माह की समय–सीमा निकल जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्यूंकि बोर्ड ऐसी स्थिति में समयावधि बढ़ा सकता है जब बालक द्वारा अपराध किये जाने की जानकारी दो महीने की अवधि बीत जाने के बाद हुई हो, तो बोर्ड को यह तथ्य अविलम्ब अवगत कराएँ तथा समयावधि आगे बढ़वा कर आगे की कार्यवाही पूरी करें।

केस स्टडी–3

शकील एक 13 साल का लड़का है। जो पास की बस्ती में स्कूल जाता है। वह बहुत शांत लडका था, स्कूल के बाद ज्यादातर समय अपनी मॉ के साथ बिताता था। शकील के पिता एक बेरोजगार व शराबी थे, जो अक्सर शकील की मॉ को मारा करते थे। कभी–कभी शकील की भी पिटाई करते थे। एक शाम जब शकील के पिता उसकी मॉ को मार रहे थे, शकील ने उसका विरोध किया, शकील ने गुस्से में आकर एक पत्थर पिता को मारा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। शकील को मर्डर के केस में पकड़ा गया।

1. थाने स्तर पर क्या प्रक्रिया अपनायी जाएगी? क्रमवार लिखे?

2. किशोर न्याय बोर्ड की क्या प्रक्रिया होगी?

थाने स्तर पर प्रक्रियाः

- क्योंकि जघन्य अपराध है इसलिए मामले की एफ0आई0आर0 की जायेगी।
- बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट (प्रपत्र–1) तैयार करेंगें।
- बालक की उम्र के साक्ष्य एकत्र करेंगें।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बालक को निरूद्ध किया जायेगा, यदि यह बालक के हित में है।
- बालक को 24 घंटे के अंदर एफ0आई0आर0 (बालक को पकड़े जाने के कारण स्पष्ट करने वाली रिपोर्ट) व सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट के साथ अन्य ब्यौरे सहित किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत किया जायेगा।

किशोर न्याय बोर्ड की प्रक्रियाः

- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने पर बोर्ड द्वारा धारा 94 में विहित प्रक्रिया द्वारा आयु का निर्धारण किया जायेगा।
- बोर्ड द्वारा बालक के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश पारित किये जायेंगे जिसमें बालक को संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान या उचित व्यक्ति या उचित सुविधा तंत्र में भेजना शामिल है अथवा बोर्ड द्वारा बालक को धारा 12 के अंतर्गत जमानत दी जा सकती है।
- यदि बालक को निरुद्ध नहीं किया गया है, तथा अपराध के सम्बन्ध में पुलिस या एस० जे० पी० यू० या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना बोर्ड को दी गयी है, तो बोर्ड द्वारा बालक को अविलम्ब उसके समक्ष उपस्थित किये जाने के संबंध में आदेश पारित किये जायेंगे जिससे कि अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा किये बिना बालक के पुनर्वास से सम्बंधित आदेश पारित किये जा सकें।(नियम 9)
- बोर्ड द्वारा बालक से सम्बंधित सामाजिक पृष्ठभूमि, निरुद्ध किये जाने की परिस्थितियों तथा बालक द्वारा किये गए अपराध से सम्बंधित रिपोर्ट का पुनर्विलोकन (REVIEW) करने के बाद उसके सम्बन्ध में धारा 17 अथवा 18 के अंतर्गत आदेश पारित किये जायेंगे। (नियम 10)

केस स्टडी–4

श्याम एवं प्रवीन अच्छे मित्र है। श्याम 15 वर्ष का एवं प्रवीन 13 वर्ष का है। वे दोनों ज्यादातर वक्त घर के बाहर बिताते थे। श्याम अपने पिता से नफरत करता था क्योकि वे उसे बात बात पर मारा व गाली दिया करते थे। प्रवीन भी घर पर झगड़ों को लेकर वहां रहना नहीं चाहता था इसलिए दोनो ने सड़क का रास्ता चुना और सड़क पर व किराए की जगहों, पार्को आदि में जीवन काटने लगे। एक दिन जब उनके पास खाने को कुछ नहीं था, उन्होने कपड़े की दुकान में चोरी की व सी0सी0टी0वी0 में कैद हो गये। जांच अधिकारी बच्चों के बारे में प्रक्रिया जानना चाहते हैं।

1. थाने स्तर पर क्या प्रक्रिया अपनायी जाएगी? क्रमवार लिखे?
2. बच्चों के घर सर्च करने हेतु क्या प्रक्रिया होगी?
3. सभी हितधारकों (सम्बंधित व्यक्तियों/विभागों) को पहचाने व उनके नाम लिखे?

थाने स्तर पर प्रक्रियाः

- चोरी की सूचना की जी0डी0 एंट्री की जाएगी।
- पुलिस द्वारा तुरंत दोनों बालकों को एस0जे0पी0यू0 या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के सुपुर्द किया जायेगा। चूँकि दोनों बालकों को जमानत पर छोड़ा जाना उनके सर्वोत्तम हित में नहीं होगा, अतः दोनों को निरुद्ध किया जायेगा तथा एस0जे0पी0यू0 या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बालकों के माता/पिता, अभिभावक, परिवीक्षा अधिकारी तथा बाल कल्याण अधिकारी/केस वर्कर को बालकों के निरुद्ध होने की सूचना दी जाएगी।
- बालकों को अविलम्ब (प्रत्येक परिस्थिति में 24 घंटे के अन्दर) बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- बालकों की सामाजिक पृष्ठभूमि आख्या (फार्म–1) में भर कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

बच्चों के घर की तलाशी की प्रक्रियाः

बच्चों के घर की तलाशी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत ली जा सकती है, परन्तु, बच्चों के साथ किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न नहीं किया जायेगा।

सहयोगी संस्थायें/इकाईयांः

पुलिस, एस0जे0पी0यू0, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, माता/पिता, अभिभावक, परिवीक्षा अधिकारी तथा बाल कल्याण अधिकारी/केस वर्कर, किशोर न्याय बोर्ड।

केस स्टडी–5

महाजन जिसकी उम्र 17 वर्ष है। एक दोस्ताना संघर्ष के दौरान उसने अपने दोस्त नारायण को पीट दिया, नारायन के परिवार ने पुलिस को रिपोर्ट किया। वह पुलिस स्टेशन लाया गया और पीटा गया। मीडिया को पता चला और उसे समाचार पत्र में उजागर किया गया।

1. यहां कौन और क्या कर सकता है?
2. पुलिस क्या प्रक्रिया अपनाएगी? क्रम वार लिखें?
3. सभी हितधारकों (सम्बंधित व्यक्तियों/विभागों) के नाम व कार्य लिखें?

यहाँ कौन और क्या कर सकता है:

- किसी भी परिस्थिति में महाजन को पीटा नहीं जा सकता तथा ऐसा किया जाना किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत एक संज्ञेय अपराध है, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत भी एक असंज्ञेय अपराध है।
- साथ ही साथ इस विषय में समाचार पत्रों में छपी खबर से यदि महाजन की पहचान उजागर होती है तो ऐसा किया जाना किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध है।
- इन अपराधों की शिकायत कोई भी पुलिस से कर सकता है (देखें नियम 54 (1)) जैसे कि बालक, उसका परिवार, अभिभावक, मित्र, शिक्षक, चाइल्ड लाइन सेवा, कोई अन्य व्यक्ति या सम्बंधित संस्थान या संस्था।

पुलिस क्या प्रक्रिया अपनाएगी:

- महाजन का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत दंडनीय है तथा यह अपराध छोटे मोटे अपराध (Petty Offence) की कोटि में आता है।
- पुलिस द्वारा इस मामले की एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की जाएगी बल्कि जी0डी0 एंट्री की जाएगी।
- महाजन के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस सूचना को डी0डी0 में दर्ज करेगी तथा यह सूचना तत्काल सम्बंधित मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जाएगी जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 (2) के अंतर्गत उचित कार्यवाही का निर्देश देगा।
- महाजन को पुलिस स्टेशन में पीटे जाने का अपराध संज्ञेय तथा असंज्ञेय दोनों हैं अतः पुलिस मामले में संज्ञेय अपराध के रूप में कार्यवायी करेगी तथा मामले की एफ0आई0आर0 किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत दर्ज की जाएगी।

सभी हितधारकों (सम्बंधित व्यक्तियों/विभागों) के नाम एवं कार्य:

- पुलिस – एफ0आई0आर0/जी0डी0/डी0डी0 एंट्री या डी0डी0 एंट्री की सूचना सम्बंधित मजिस्ट्रेट को प्रेषित करना। अपराध का अन्वेषण सामाजिक पृष्ठभूमि आख्या तैयार करना।

- बालक, उसका परिवार, अभिभावक, मित्र, शिक्षक, चाइल्ड लाइन सेवा, कोई अन्य व्यक्ति या सम्बंधित संस्थान या संस्था – महाजन के विरुद्ध अपराध की सूचना पुलिस को देना।
- मीडिया – महाजन की पहचान को उजागर न करना।

केस स्टडी–6

मोहिनी बक्तापुर की कक्षा 8 की छात्रा है, एक दिन उसके अध्यापक ने उसे अपने कमरे में कुछ पुस्तकें उठाने के लिए बहाने से बुलाया। अध्यापक ने उसके शरीर के अंगों को छूने का प्रयास किया, जो मोहिनी को अच्छा नही लगा। वह घर गयी और अपनी मम्मी से शिकायत की। अगले दिन मम्मी स्कूल गयी और अध्यापक को पीटना शुरु कर दिया। जिससे खबर पूरे समुदाय में फैल जाती है। अध्यापक बहुत प्रभावशाली खानदान से है। मोहिनी जानना चाहती है कि वह क्या करे, जिससे यह किसी अन्य के साथ न घटे।

1. पुलिस क्या प्रक्रिया अपनाएगी? क्रम वार लिखें?
2. मोहिनी क्या क्या कर सकती है?
3. सभी हितधारकों (सम्बंधित व्यक्तियों / विभागों) के नाम लिखें?

पुलिस की प्रक्रियाः

- अध्यापक का कृत्य POCSO अधिनियम की धारा 10 / 18 के अंतर्गत दंडनीय है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 354 / 511 के अंतर्गत भी दंडनीय है।

- यदि पुलिस को मोहिनी के विरुद्ध हुए अपराध की सूचना मिलती है तो उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज की जाएगी तथा अन्वेषण प्रारंभ किया जायेगा।

- यदि पुलिस अथवा एस0जे0पी0यू0 संतुष्ट हैं कि मोहिनी को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता है ऐसा किये जाने के कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए अविलम्ब देखभाल एवं संरक्षण प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे।

- पुलिस अथवा एस0जे0पी0यू0 द्वारा बिना अयुक्तियुक्त विलम्ब के, परन्तु चौबीस घंटे के अंदर मोहिनी के मामले की आख्या बाल कल्याण समिति तथा विशेष न्यायालय अथवा यदि विशेष न्यायालय नहीं है, तो सत्र न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी, जिसमे मोहिनी को देखभाल एवं संरक्षण से सम्बंधित आवश्यकता तथा इस दिशा में उठाए गए कदमों का विवरण होगा।

मोहिनी क्या कर सकती है:

- मोहिनी स्कूल के प्रधानाध्यापक से अपने विरुद्ध किये गए कृत्य की शिकायत कर सकती है।

- मोहिनी स्वयं पुलिस को मौखिक या लिखित शिकायत कर सकती है।

सभी हितधारकों (सम्बंधित व्यक्तियों / विभागों) के नामः

- मोहिनी का स्कूल
- मोहिनी के स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं अन्य अध्यापक
- मोहिनी के परिवार के सदस्य
- पुलिस / एस0जे0पी0यू0
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
- बाल कल्याण समिति

केस स्टडी–7

गीता उम्र 14 वर्ष ग्वालियर शहर के एक प्राइवेट स्कूल की कक्षा 9 की छात्रा है, गीता को एक लड़की जो कक्षा 3 में पढ़ती थी उसने किसी बात पर मजाक में गीता से शरारत की। गीता ने नाराज होकर उसे बाद में देख लेने की धमकी दी। एक टीवी सीरियल से प्रभावित गीता ने अगले दिन छोटी लड़की को स्कूल के बाथरूम में ले जाकर चाकू से हमला कर दिया। जिससे छोटी लड़की बुरी तरह घायल हो गयी। लड़की के पिता थाने पर एफ0आई0आर0 लिखाने आये हैं।

1. पुलिस क्या प्रक्रिया अपनाएगी? क्रम वार लिखें?
2. सभी हितधारकों (सम्बंधित व्यक्तियों / विभागों) का रोल लिखें?

पुलिस की प्रक्रियाः

- गीता की आयु (14 वर्ष) तथा अपराध की प्रकृति (गंभीर अपराध) को देखते हुए गीता के अपराध की एफ0आई0आर0 नहीं दर्ज होगी बल्कि जी0डी0 एंट्री की जाएगी।
- गीता को निरुद्ध करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। (नियम 8 (1))
- पुलिस अथवा एस0जे0पी0यू0 अथवा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा अपराध की प्रकृति की सूचना तथा फार्म–1 में भरी गयी सामाजिक पृष्ठभूमि आख्या किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित की जाएगी। (नियम 8 (1))
- गीता के माता–पिता को यह सूचना दी जाएगी कि गीता को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष सुनवाई के लिए कब प्रस्तुत होना है। (नियम 8 (1))
- गीता के माता–पिता से गैर–न्यायिक प्रपत्र पर फार्म–2 में यह Undertaking (सुपुर्दगीनामा) ली जाएगी कि वह किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष जांच अथवा अन्य कार्यवाइयों में निर्धारित तिथि को उपस्थित होंगे। (नियम 8 (7))
- गीता से पूछताछ नियम 8 (3) के प्रावधानों को ध्यान में रख कर की जाएगी।

सभी हितधारकों (सम्बंधित व्यक्तियों/विभागों) के रोलः

- **पुलिस–** उपरोक्त के अनुसार तथा नियम 10 (6) के अंतर्गत अंतिम रिपोर्ट जल्द–से–जल्द परन्तु किसी भी दशा में दो माह के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी।

- **गीता के माता–पिता–** उपरोक्त के अनुसार

- **किशोर न्याय बोर्ड–** बोर्ड द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गीता को बिना किसी अयुक्तियुक्त विलम्ब के शीघ्र उसके समक्ष लाया जाये जिससे कि अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा किये बिना, यदि आवश्यक हो तो गीता के पुनर्वास के लिए आगे की कार्यवायी की जा सके। (नियम 9 (4))

- बोर्ड द्वारा जांच की कार्यवाही नियम 10 के अंतर्गत गीता के सर्वोत्तम हित के आधार पर की जाएगी।

- बोर्ड द्वारा अधिकतम चार माह में पूरी कर ली जाएगी।

- जाँच पूरी होने के उपरांत बोर्ड द्वारा धारा 17 या 18 के अंतर्गत आदेश पारित किये जायेंगे।

- परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता– इनके द्वारा गीता के सम्बन्ध में सामाजिक अन्वेषण आख्या फार्म–6 में भर कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

केस स्टडी–8

एक 15 साल के लड़के को 4 व्यस्कों के साथ डकैती के जुर्म में पकड़ा गया है।

1. पुलिस क्या प्रक्रिया अपनाएगी? क्रम वार लिखें?

पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाः

- डकैती भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अंतर्गत गंभीर अपराध की कोटि में आता है, परन्तु चूँकि उक्त अपराध 15 वर्षीय बालक द्वारा चार वयस्कों के साथ मिल कर किये जाने का आरोप है, अतः एफ0आई0आर0 दर्ज की जाएगी।

- बालक को निरुद्ध किया जा सकता है यदि ऐसा किया जाना उसके सर्वोत्तम हित में हो, अन्यथा बालक को जमानत पर छोड़ दिया जायेगा।

- यदि बालक को निरुद्ध किया गया है तो उसे एस0जे0पी0यू0/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के सुपुर्द किया जायेगा जो उसके माता–पिता/अभिभावक को यह सूचना देंगे कि बालक को निरुद्ध किया गया है तथा उन्हें किशोर न्याय बोर्ड का पता बताया जायेगा जहाँ कि बालक को पेश किया जाना है, उन्हें पेशी का दिन और समय भी बताया जायेगा जिससे कि वह बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो सकें। बालक की निरुद्धि की सूचना परिवीक्षा अधिकारी को भी दी जाएगी जिससे वह बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि एवं अन्य महत्वपूर्ण परिस्थितियों के विषय में सूचना प्राप्त करे जो बोर्ड की जाँच में सहायक हो सकती हैं। यह सूचना बाल

कल्याण अधिकारी या केस वर्कर को भी दी जाएगी जो एस0जे0पी0यू0/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के साथ बालक को बोर्ड के समक्ष पेश करेंगे।

- निरुद्ध किये जाने के चौबीस घंटे के अन्दर उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि आख्या फार्म–1 में भर कर बोर्ड को दी जाएगी।
- बालक के साथ नियम 8 (3) के अनुसार व्यवहार किया जायेगा।
  - यदि बालक को माता–पिता/अभिभावक के प्रभार में दिया गया है तो उनसे फार्म–2 में यह अंडरटेकिंग (सुपुर्दगीनामा) ली जाएगी कि वह नियत तिथि, समय एवं स्थान पर बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
  - विवेचना के पश्चात, बालक के विषय में अलग से चार्ज शीट/अंतिम रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
  - बालक की केस डायरी भी पृथक होगी।

केस स्टडी–9

मोहन एक 15 वर्ष का बालक है तथा उस पर मोबाइल फोन की चोरी के आरोप है। किशोर न्याय बोर्ड ने मोहन को संप्रेक्षण गृह में रखने का आदेश दिया है संप्रेक्षण गृह से मोहन भाग जाता है तथा पुलिस उस की तलाश में है उक्त मामले में क्या प्रक्रिया होगी?

संप्रेक्षण गृह से मोहन के भाग जाने के मामले में प्रक्रिया (धारा 26):

- कोई भी पुलिस अधिकारी मोहन का प्रभार ले सकता है, इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे बालक को कोई भी पुलिस अधिकारी अपनी अभिरक्षा में ले सकता है।
- मोहन को, यदि संभव हो तो, उस बोर्ड के समक्ष जिसने उसकी बाबत मूल आदेश पारित किया था, प्रस्तुत किया जायेगा अथवा मोहन को उस निकटतम बोर्ड के समक्ष, जहाँ मोहन पाया गया था, प्रस्तुत किया जायेगा।
- बोर्ड मोहन के सम्प्रेषण गृह से निकल भागने के कारणों को सुनिश्चित करेगा एवं मोहन को या तो उसी संप्रेक्षण गृह या किसी अन्य संप्रेक्षण गृह, जिसको बोर्ड ठीक समझे, भेजे जाने का आदेश पारित करेगा।
- बोर्ड मोहन के सर्वोत्तम हित में अतिरिक्त आदेश भी पारित कर सकता है।
- मोहन के विरुद्ध संप्रेक्षण गृह से भाग जाने के कारण कोई अतिरिक्त कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी।

केस स्टडी–10

आठ वर्ष की बालिका बबली खेलते–खेलते अपने घर से दूर निकल गयी तथा खो गयी है एक पुलिस अधिकारी को बबली रोती हुए मिलती है।

उक्त मामले में क्या प्रक्रिया होगी?

बबली के खो जाने के बाद की प्रक्रिया (धारा 32):

- पुलिस अधिकारी, जिसको बबली मिली है, चौबीस घंटे के भीतर (यात्रा में लगे समय को छोड़ कर) निकटतम पुलिस थाने या बाल कल्याण समिति को सूचना देगें अथवा बबली को किसी भी पंजीकृत बाल देखभाल वाले संस्थान को सौंपेगें।
- यह विशेष ध्यान रखने योग्य है कि उपरोक्त प्रक्रिया का पालन प्रत्येक व्यक्ति, जिसको खोया हुआ बालक या बालिका मिले, द्वारा किया जाना अनिवार्य है।
- खोये हुए बालक/बालिका के विषय में उपरोक्त प्रक्रिया से सूचना न देना दंडनीय अपराध है जिसके लिए छह माह तक के कारावास की सजा या दस हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- पुलिस द्वारा बबली से पूछताछ में यदि यह पता चलता है कि बबली देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिका है, तो पुलिस द्वारा उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष फार्म–17 के प्रारूप में सूचना भर कर प्रस्तुत किया जायेगा।

संलग्नक

संलग्नक–11.1

किशोर न्याय (बच्चो की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम 2015 के अनुपालन हेतु 'जघन्य अपराधों' की सूची			
क्र.सं.	धारा	विवरण	सजा
		1. भारतीय दण्ड संहिता, 1860	
1	121	भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का प्रयास करना या उसे बढावा देना	मृत्यु या उम्र कैद
2	195	आजीवन कारावास या उम्र कैद की सजा से दोषी को बचाने के इरादे से झूठे सबूत देना या निर्माण करना	उस दण्ड के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तिं के समान सजा कम से कम 7 वर्ष
3	195A	झूठा सबूत देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकाना– यदि झूठे सबूत के आधार पर किसी निर्दोष/मासूम व्यक्ति को 7 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती हैं	निर्दोष व्यक्ति को सुनाई गई सजा के समान
4	302	हत्या के लिए सजा	मृत्यु या उम्र कैद की सजा
5	304B	दहेज हत्या	कम से कम 7 साल या उम्र कैद तक की सजा
6	311	ठगी करने के लिए सजा	उम्र कैद
7	326A	एसिड हमले के कारण स्थायी या आंशिक क्षति/विकृति	कम से कम 10 साल व आजीवन कारावास तक
8	370(2)	तस्करी	7 साल से लेकर 10 साल तक सजा
9	370(3)	एक से अधिक व्यक्तियों की तस्करी	10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा
10	370(4)	नाबालिग की तस्करी करना	10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा
11	370(5)	एक से अधिक नाबालिग की तस्करी	14 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा
12	370(6)	एक से ज्यादा बार नाबालिग की तस्करी	उम्र कैद की सजा – उस व्यक्ति का शेष प्राकृतिक जीवन

13	376(1)	बलात्कार की सजा	10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा
14	376(2)	हिरासत में नाबालिक का बलात्कार या गर्भवती महिला का बलात्त्कार	10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा
15	376 (3)	16 वर्ष से कम आयु की बालिका से बलात्कार	20 वर्ष से आजीवन कठोर कारावास तक व जुर्माना/बचा हुआ प्राकृतिक जीवन
16	376A	बलात्कार के परिणामस्वरुप महिला की मृत्यु या स्थाई शिथिल अवस्था	कम से कम 20 साल की सजा या व्यक्ति का शेष प्राकृतिक जीवन या मृत्यु
17	376 AB	12 वर्ष से कम आयु की बालिका से बलात्कार	कम से कम 20 साल की सजा या व्यक्ति का शेष प्राकृतिक जीवन या मृत्यु
18	376D	गैंग रेप	कम से कम 20 साल की सजा या व्यक्ति का शेष प्राकृतिक जीवन
19	376 DA	16 वर्ष से कम आयु की बालिका से गैंग रेप	व्यक्ति का शेष प्राकृतिक जीवन या कारावास या मृत्यु, जुर्माना सहित
20	376 DB	12 वर्ष से कम आयु की बालिका से गैंग रेप	व्यक्ति का शेष प्राकृतिक जीवन या कारावास या मृत्यु, जुर्माना सहित
21	376E	धारा 376, 376ए, 376डी के अंतर्गत अपराध को दोहराना	व्यक्ति का शेष प्राकृतिक जीवन या कारावास या मृत्यु
22	397	चोरी या डकैती के साथ मृत्यु या गंभीर चोट की कोशिश करना	कम से कम 7 साल तक की सजा
23	398	घातक हथियार के साथ चोरी या डकैती की कोशिश करना	कम से कम 7 साल तक की सजा
2. सती प्रथा (निवारण) एक्ट, 1987			
24	4(1)	सती बनने हेतु उकसाना, के फलस्वरूप सती बनना	उम्र कैद या आजीवन कारावास

25	4(2)	सती बनने हेतु उकसाना, के फलस्वरूप सती बनने का प्रयास	आजीवन कारावास
		3. स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985	
26	15(c)	पोस्ता तृण को व्यावसायिक मात्रा में शामिल करने के संबंध में उल्लंधन के लिए सजा	10 वर्ष से 20 वर्ष तक की सजा
27	17 (c)	अफीम को व्यावसायिक मात्रा में शामिल करने के संबंध में उल्लंधन के लिए सजा	10 वर्ष से 20 वर्ष तक की सजा
28	18(b)	अफीम व अफीम पोस्ता के संबंध में विक्रय, क्रय, परिवहन आदि उल्लंधन के लिए सजा	10 वर्ष से 20 वर्ष तक की सजा
29	19	किसान द्वारा अफीम के गबन के लिए सजा	10 वर्ष से 20 वर्ष तक की सजा
30	20 (c)	व्यावसायिक मात्रा से जुडे भांग व भांग का पौधा के संबंध में उल्लंधन के लिए सजा	10 वर्ष से 20 वर्ष तक की सजा
31	21(c)	व्यावसायिक मात्रा से जुडे निर्मित दवाओं और सामग्री के संबंध में उल्लंधन के लिए सजा	10 वर्ष से 20 वर्ष तक की सजा
32	22(c)	व्यावसायिक मात्रा से जुडे मनःप्रभावी पदार्थ के संबंध में उल्लंधन के लिए सजा	10 वर्ष से 20 वर्ष तक की सजा
33	23(c)	अवैध रुप से व्यावसायिक मात्रा में भारत से मादक दवाओं, मनः प्रभावी पदार्थों के आयात– निर्यात के लिए सजा	10 वर्ष से 20 वर्ष तक की सजा
34	24	मादक दवाओं व नशीले पदार्थो की बाहरी लेनदेन के लिए सजा	10 वर्ष से 20 वर्ष तक की सजा
35	25	कोई अपराध करने के लिए परिसर की अनुमति के लिए सजा	उस अपराध के दण्ड के बराबर सजा
36	27A	अवैध तस्करी का वित्तपोषण और अपराधियों को आश्रय प्रदान करने के लिए सजा	10 वर्ष से 20 वर्ष तक कठोर कारावास तथा 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना
37	29	दुष्प्रेरण और अपराधिक साजिश के लिए सजा	उस अपराध के दण्ड के बराबर सजा

38	31A	धारा 19, 24, 27क, के तहत अपराधों, प्रयासों, उत्पीडन, अपराधों के साजिश के दोषी व्यक्तियों द्वारा पुनरावृत्ति और व्यावसायिक मात्रा से जुडे नशीली दवा या मनोवैज्ञानिक पदार्थों के निश्चित रुप से एक निश्चित मात्रा के ऊपर एनडी और पीएस के संबंध में प्रयास उत्पीडन, अपराधिक संयंत्र के दोषी पाए जाने पर	मृत्यु
		4. आयुध अधिनियम, 1959	
39	27(2)	धारा 7 के उल्लंधन में किसी भी प्रतिबंधित हथियांरों व निषिद्ध गोला बारुद का उपयोग (निषिद्ध हथियारों या निषिद्ध गोला बारुद के अधिगृहण के निषेध के निर्माण या बिक्री के कब्जे के संबंध में)	7 वर्ष से उम्र कैद तक की सजा
		5. विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967	
40	10(b)(i)	किसी गैर कानूनी संघ के सदस्य होने के साथ साथ जिसके कार्य के परिणामस्वरुप किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती हैं	मृत्यु या आजीवन कारावास
41	16(1)(a)	आतंकवादी कार्यवाही के लिए सजा अगर उस कार्यवाही में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो।	मृत्यु या आजीवन कारावास
		6. खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006	
42	59(iv)	असुरक्षित भोजन के लिए सजा जहां एक उल्लंधन या विफलता से व्यक्ति की मृत्यु होती है।	सात साल से उम्र कैद तक की सजा
		7. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	
43	3(2)(i)	किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को अपराध (जिसकी सजा मृत्युदण्ड समतुल्य हो) के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए झूठे सबूत देना,	उम्र कैद
		और यदि निर्दोष व्यक्ति का दोषसिद्ध हो जाता है जिसके उपरांत फांसी की सजा हो	मृत्युदण्ड की सजा
44	3(2)(iv)	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा इस्तेमाल किए गए किसी भवन का विनाश करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत करना ।	उम्र कैद की सजा

45	3(2)(v)	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संपत्ति के खिलाफ दस से अधिक वर्षों की कारावास के साथ किसी भी आई.पी.सी. 1860 के अपराध का होना	उम्र कैद की सजा
		8. महाराष्ट्र संगठित अपराध निरोधक अधिनियम, 1999	
46	3(1)(i)	संगठित अपराध के लिए सजा जिसके परिणामस्वरुप किसी व्यक्ति की मृत्यु हई हो	मृत्यु और आजीवन कारावास
		9. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012	
47	4	लैगिक प्रवेंशन हमले के लिए सजा	7 वर्ष से लेकर उम्र कैद और जुर्माना
48	6	गुरूत्तर लैगिक प्रवेंशन हमले के लिए सजा	10 साल के लिए कठिन कारावास से लेकर उम्र कैद की सजा और जुर्माना
49	14(2)	अश्लील साहित्य के लिए बच्चों का उपयोग करना और लैगिक प्रवेशन हमला करना	10 वर्ष से लेकर उम्र कैद और जुर्माना
50	14(3)	अश्लील साहित्य के लिए बच्चों का उपयोग करना और गुरूत्तर लैगिक प्रवेंशन हमला करना	कठोर आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना
		10. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956	
51	5B	तस्करी करना, तस्करी करने की कोशिश या उसे बढावा देने का प्रयास	पहला दोषसिद्ध होने पर 7 साल का कठिन कारावास और दूसरी तथा उससे अधिक बार दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास
52	6(1)	किसी व्यक्ति को ऐस स्थान पर रोकना जहां पर वैश्यावृत्ति हो रही हो	कम से कम 7 साल
53	7(1-A)	सार्वजनिक स्थान के आस पास वैश्यावृत्ति –बच्चों के संबंध में	कम से कम 7 साल
54	9	हिरासत में व्यक्ति को वैश्यावृत्ति हेतु प्रलोभन	कम से कम 7 साल

संलग्नक–11.2

किशोर न्याय
(बालकों की देखरेख और संरक्षण)
अधिनियम, 2015 में सक्षम प्राधिकारी एवं बाल देखरेख संस्थाएं

क्र.सं.	बच्चों का समूह/विषय	सक्षम प्राधिकारी	बाल देखरेख संस्थाएं
	विधि से संघर्षरत बच्चे		
1	छोटे एवं गम्भीर अपराध के समय 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे	किशोर न्याय बोर्ड	**संप्रेक्षण गृह, फिट फैसेलिटी एवं विशेष गृह**
2	जधन्य अपराध के समय 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे	किशोर न्याय बोर्ड	**संप्रेक्षण गृह, फिट फैसेलिटी एवं विशेष गृह**
3	जधन्य अपराध के समय 16–18 वर्ष उम्र के बच्चे	किशोर न्याय बोर्ड /बाल न्यायालय (जिला एवं सत्र न्यायालय)	**संप्रेक्षण गृह, सुरक्षित अभिरक्षा गृह, फिट फैसेलिटी, विशेष गृह एवं जेल**
	देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे		
4	0 से 18 वर्ष के देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे	बाल कल्याण समिति	**बाल गृह, ओपन शेल्टर एवं फिट फैसेलिटी**
	बच्चों के विरूद्ध अपराध		
5	ऐसे अपराध जिनमें 3 वर्ष से कम की सजा	न्यायिक मजिस्ट्रेट	
6.	ऐसे अपराध जिनमें 3 वर्ष से 7 वर्ष की सजा	प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट	
7.	ऐसे अपराध जिनमें 7 वर्ष से अधिक सजा	बाल न्यायालय (सत्र न्यायालय)	
8.	बच्चों के विरूद्ध लैगिंक हिंसा/शोषण	बाल/विशेष न्यायालय (सत्र न्यायालय)	
	दत्तक ग्रहण		
9	अनाथ, परित्यक्त एवं समर्पित बच्चों का दत्तक ग्रहण कार्यवाही	विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी	**विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी, बाल गृह**

10	बच्चों के दत्तक ग्रहण की अनुमति	सिविल न्यायालय (जिला एवं सत्र न्यायालय)	
फोस्टर केयर			
11	देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को फोस्टर केयर में देना	बाल कल्याण समिति	**विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी, बाल गृह**
12	फोस्टर पेरेन्ट्स को आर्थिक सहायता	जिला बाल संरक्षण इकाई	
प्रायोजन सेवाएं (स्पोंसरशिप)			
13	कानून में चिन्हित श्रेणी के बच्चों को प्रायोजन सेवाओं के तहत आर्थिक सहायता	जिला बाल संरक्षण इकाई	**विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी, बाल गृह, ओपन शेल्टर**
आफ्टर केयर			
14	बाल देखरेख संस्थान से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने उपरान्त समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु आर्थिक सहायता	जिला बाल संरक्षण इकाई	**बाल गृह, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह एवं सुरक्षित अभिरक्षा गृह**
अन्य महत्वपूर्ण विषय			
15	राज्य में किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी	**उ.प्र. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग**	

संलग्नक–11.3

प्रारूप–1

[नियम 8(1) 8 (5)]

किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 के अंतर्गत

सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट

प्राथमिकी / जी0डी0 संख्याः– ....

धारा के अधीनः– ....

पुलिस स्टेशनः– ....

तारीख और समयः– ....

अन्वेषण अधिकारी का नामः– ....

सी0डब्ल्यू0 पी0ओ0 का नामः– ....

1. बालक का नामः ....
2. पिता / संरक्षक का नामः ....
3. आयु / जन्म की तारीखः ....
4. पताः ....
5. धर्मः ....

- हिंदु (ओ0सी0 / ओ0बी0सी0 / एस0सी0 / एस0टी0)
- मुस्लिम / ईसाई / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

6. यदि बालक विकलांग हैः
   1) सुनने मे अक्षम
   2) बोलने में अक्षम
   3) शारीरिक रुप से विकलांग
   4) मानसिक रुप से निःशक्त
   5) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

7. परिवार के ब्यौरेः

क्र0सं0	नाम तथा नातेदारी	आयु	लिंग	शिक्षा
1	2	3	4	5
व्यवसाय	आय	स्वास्थ्य की स्थिति	मानसिक रुग्णता का इतिहास (यदि कोई हो)	व्यसन (यदि कोई हो)
6	7	8	9	10

8. घर छोड़ने के कारण: ....

9. क्या अपराध में परिवार के सदस्यों के लिप्त होने का पूर्ववृत्त है यदि कोई हो।

10. बालक की आदतें:

क	ख
1 धूम्रपान	1 टी0वी0/फिल्में देखना
2 शराब का सेवन करना	2 आउटडोर/इनडोर खेल खेलना
3 औषधियों का उपयोग विर्निदिष्ट करे	3 पुस्तकें पढना
4 जुआ खेलना	4 ड्राइंग/पेंटिंग/एक्टिंग/गायन
5 भीख मांगना	5 कोई अन्य
6 कोई अन्य	

11. रोजगार के ब्यौरे, यदि कोई हों: ....

12. आय के उपयोजन: ....

1. परिवार की जरुरतों को पूरा करने के लिए परिवार को भेजी।	हां	नहीं
2. स्वयं द्वारा निम्नलिखित के लिए उपयोग की गई हों।		
(क) पहनावा सामग्री	हां	नहीं
(ख) जुए के लिए	हां	नहीं
(ग) शराब के लिए	हां	नहीं
(घ) औषधियों के लिए	हां	नहीं
(ड.) धूम्रपान के लिए	हां	नहीं
(च) बचत	हां	नहीं

13. बालक की शिक्षा के ब्यौरे:
   1. निरक्षर
   2. पांचवी कक्षा तक अध्ययन
   3. पांचवी कक्षा तक अध्ययन लेकिन कक्षा आठ से कम
   4. कक्षा आठ तक अध्ययन लेकिन कक्षा दस से कम
   5. कक्षा दस के अधिक पढ़ाई की

14. स्कूल छोड़ने का कारण:
   1. पिछली कक्षा जिसमें पढ़ रहा था, फेल हुआ
   2. स्कूल के कार्यकलापों में रुचि का अभाव
   3. अध्यापक का उपेक्षापूर्ण व्यवहार
   4. समकक्ष समूह का प्रभाव
   5. अर्जन और परिवार की मदद करना
   6. माता पिता की असामयिक मृत्यु
   7. स्कूल मे उत्पीड़न
   8. स्कूल का कड़ा वातावरण
   9. अनुस्थिति के उपरांत स्कूल का अभाव
   10. नजदीक में आयु के अनुकूल स्कूल का अभाव
   11. स्कूल में दुर्व्यवहार
   12. स्कूल में अपमान

13. शारीरिक दंड
14. शिक्षण का माध्यम
15. अन्य

15. पिछला स्कूल जहां अध्ययन किया उसके ब्यौरे:
1. निगम / नगर निगम पंचायत
2. सरकारी अनु0 जा0 कल्याण स्कूल / पिछडा वर्ग कल्याण स्कूल
3. प्राइवेट प्रबंधन
4. एन0सी0एल0पी0 के अंतर्गत विद्यालय (बाल श्रमिक)

16. व्यावसायिक प्रशिक्षण यदि कोई हो: ....

17. अधिकांश मित्र:
1. शिक्षित
2. निरक्षर
3. उसी आयु वर्ग के लिए
4. आयु में बड़े
5. आयु में छोटे
6. एक ही लिंग के है
7. अन्य लिंग के है
8. नशे की लत है
9. आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं

18. क्या बालक किसी दुर्व्यवहार के अध्यधीन रहा है:– हां / नहीं

क्र0सं0	दुर्व्यवहार के प्रकार	अभ्युक्ति
1	मौखिक दुर्व्यवहार – माता पिता / सहोदर भाई बहन / नियोक्ता / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
2	शारीरिक दुर्व्यवहार (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
3	लैंगिक दुर्व्यवहार / माता पिता / सहोदर भाई बहन / नियोक्ता / अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
4	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

19. क्या बालक किसी अन्य अपराध का पीड़ित है हां नहीं

20. क्या बालक का इस्तेमाल किसी गैंग द्वारा अथवा वयस्कों द्वारा अथवा वयस्कों के ग्रुप द्वारा किया जा रहा हैं अथवा बालक को नशीली औषधियों के वितरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? हां नहीं

21. माता पिता की उपेक्षा अथवा अधिक संरक्षण अथवा उम्र ग्रुप के प्रभाव आदि जैसे तथाकथित अपराध का कारण: ....

22. वे परिस्थितियां जिनमें बालक को पकड़ा गया: ....

23. बालक से प्राप्त हुआ सामान का ब्यौरा: ....

24. अपराध में बालक की तथाकथित भूमिका: ....

25. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के सुझाव: ....

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
द्वारा हस्ताक्षरित

प्रारुप 2

नियमः– 8 (7)

उस माता–पिता अथवा संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति की वचनबद्धता जिसे जांच के लंबन के दौरान अंतरिम अभिरक्षा दी गई है।

मैं .... (नाम) मकान नं0 गली .... गांव / शहर .... जिला .... राज्य .... का निवासी, यह घोषणा करता हूँ कि मै .... (बालक का नाम) आयु .... का उत्तरदायित्व बोर्ड के आदेशों के अंतर्गत निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अध्यधीन लेने को तैयार हूँ:–

1. कि मैंने स्वयं की, सही प्रामाणिक पहचान तथा पते के प्रमाण उपाबद्ध कर दिए है।
2. कि मैं जब कभी अपेक्षित होगा, बोर्ड के समक्ष उसे प्रस्तुत करने की वचनबद्धता देता हूँ।
3. कि जितने समय तक बालक मेरी अभिरक्षा में रहेगा उसके कल्याण और उसकी शिक्षा के लिए सर्वोत्तम करूँगा और उसके रख–रखाव के लिए उपयुक्त उपबंध करूंगा।
4. कि उसकी बीमारी की स्थिति में उसे नजदीकी अस्पताल में उपयुक्त चिकित्सकीय जांच दिलवाई जाएगी, और स्वस्थता प्रमाण पत्र के साथ उसकी रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
5. कि मैं यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूँगा कि बालक किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार / उपेक्षा / शोषण के अध्यधीन नहीं होगा।
6. कि यदि उसके आचरण के लिए आगे पर्यवेक्षण देखरेख अथवा संरक्षण की जरूरत होगी तो बोर्ड को तुरंत सूचित करूँगा।
7. कि यदि बालक मेरी निगरानी अथवा नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो मैं बोर्ड को तत्काल सूचित करूँगा।

..........20........, के .... दिन

वचनबद्धता निष्पादित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

(मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए)

किशोर न्याय बोर्ड

प्रारुप 17

(नियम 18 (2), 19 (25))

बच्चों को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के समय पेश की जाने वाली रिपोर्ट

मामला सं0: ....

बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया: ....

प्रस्तुत करने की तिथि: .... प्रस्तुत करने का समय: ....

प्रस्तुत करने का स्थान: ....

1. बच्चे का प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का विवरण:
   1) व्यक्ति का नाम: ....
   2) उम्र: ....
   3) लिंग: ....
   4) पता: ....
   5) संपर्क फोन संख्या: ....
   6) व्यवसाय / पदनाम: ....
   7) संगठन / बा0सं0सं0 / एस0ए0ए0 का नाम: ....
2. प्रस्तुत किया गया बालक:
   1) नाम (यदि कोई हो): ....
   2) आयु (बतायी गयी आयु लिखें / शक्ल सूरत के आधार पर आयु लिखें): ....
   3) लैंगिकता: ....
   4) पहचान चिन्ह: ....
   5) बच्चे की भाषा: ....
3. माता पिता / संरक्षक का विवरण यदि उपलब्ध हो:
   1) नाम: ....
   2) आयु: ....
   3) पता: ....
   4) संपर्क (फोन) संख्या: ....
   5) व्यवसाय: ....

4 स्थान जहाँ बच्चा प्राप्त हुआः ....

5 उस व्यक्ति का विवरण जिसके साथ बच्चा पाया गयाः

1) नामः ....

2) आय : ....

3) पताः ....

4) संपर्क फोन संख्याः ....

5) व्यवसाय : ....

6) बच्चा किन परिस्थितियों में पाया गयाः ....

7) बच्चे पर किसी भी प्रकार के अपराध/दुराचार का बच्चे द्वारा किया दोषारोपणः ....

8) बच्चे की शारीरिक स्थितिः ....

9) प्रस्तुति के समय बच्चे का सामानः ....

10) बच्चे के बा0सं0सं0/एस0ए0ए0 में आने की तिथि और समयः ....

11) बच्चे के परिवार को खोजने के लिए किए गए तुरंत प्रयासः ....

12) क्या बच्चे की चिकित्सा जॉच की गई है?: ....

13) क्या पुलिस को सूचित किया गया है?: ....

बच्चे के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान

बच्चे को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर/

अगूंठे के निशान

पुलिसः– स्थानीय पुलिस/विशेष किशोर पुलिस इकाई/पदेन बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/रेलवे पुलिस/परिवीक्षा अधिकारी/सार्वजनिक सेवा का कोई भी कर्मचारी/समाज कल्याण संगठन/सामाजिक कार्यकर्ता/बा0सं0सं0 के प्रभारी व्यक्ति/एस0ए0ए0/कोई भी नागरिक/स्वयं बालक अथवा बालक (जो भी लागू हो, भरा जाए)

प्रारूप 42

(नियम 69(घ) (4))

रातभर का संरक्षण प्रवास

.... (बालक का नाम) को .... आज अभिरक्षा में लिया गया/प्राप्त किया गया है। .... (संस्था का नाम) में रातभर के संरक्षण प्रवास की जरुरत हेतु रखा जाता है।

उक्त बालक को .... (बाल कल्याण पुलिस अधिकारी .... पुलिस स्टेशन .... जिला) के द्वारा पेश किया गया है। बालक को संरक्षण प्रवास में रखने के लिए अपेक्षित आवेदन बालक की सामान्य सेहत स्थिति, जिसे संस्था के प्रभारी व्यक्ति द्वारा विधिवत अनुशीलन किया गया है, वर्णित चिकित्सा रिपोर्ट के साथ लाया गया है।

उक्त बालक को .... बजे संस्था में लाया गया है संबंधित अधिकार क्षेत्र के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को अगले दिन .... बजे (समय बताएं) या उसके पहले सुपुर्द कर दिया जाएगा।

बालक की व्यक्तिगत वस्तुओं की गहन छानबीन की गई है और निम्नलिखित वस्तुएँ .... (यदि कोई हो) संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंप दी गई हैं।

अगर संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नियत समय पर बालक को अभिरक्षा में लेने की रिपोर्ट करने में असफल होता है तो ऐसे बालक को किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के समक्ष संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा शीघ्र पेश किया जाएगा।

प्रतिलिपि :

1. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी।
2. बोर्ड/समिति
3. संस्था का प्रभारी व्यक्ति

आज तारीख ....का 20

(हस्ताक्षर)
संस्था का प्रभारी व्यक्ति

(हस्ताक्षर)
बाल कल्याण पुलिस अधिकारी

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन
उ०प्र०, लखनऊ

1090 0522-2325200 112

@wpl1090 @uppolice uppolice uppolice.gov.in